

सूचना पुस्तिका

(भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी
“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” की धारा 4 (1) (b) के अंतर्गत)



राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर, मध्यप्रदेश

20 अक्टूबर, 2005

अनुक्रमणिका

क्र०	अध्याय/मैनुअल क्र०	विषय	पृष्ठ क्र०
1	अध्याय 1	प्रस्तावना	01-01
2	अध्याय - 2 (मैनुअल -1)	संगठन की विषिष्टियाँ कृत्य एवं कर्तव्य	02-06
3	अध्याय - 3 (मैनुअल - 2)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	07-14
4	अध्याय-4 (मैनुअल-3)	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	15-16
5	अध्याय - 5 (मैनुअल - 4)	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण	17-17
6	अध्याय - 6 (मैनुअल - 5)	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण	18-18
7	अध्याय - 7 (मैनुअल - 6)	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	19-21
8	अध्याय 8 (मैनुअल-7)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ	22-22
9	अध्याय - 9 (मैनुअल - 8)	निर्णय लेने की प्रक्रिया	23-23
10	अध्याय 10 (मैनुअल 9)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	24-24
11	अध्याय - 11 (मैनुअल - 10)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	25-26
12	अध्याय - 12 (मैनुअल - 11)	आवंटित बजट	27-27
13	अध्याय - 13 (मैनुअल - 12)	अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	28-28
14	अध्याय - 14 (मैनुअल - 13)	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	29-29
15	अध्याय - 15 (मैनुअल - 14)	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम	30-30
16	अध्याय - 16 (मैनुअल - 15)	इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ	31-31
17	अध्याय - 17 (मैनुअल - 16)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	32-32
18	अध्याय - 18 (मैनुअल -17)	अन्य उपयोगी जानकारियाँ	33-56

अध्याय 1

प्रस्तावना

सूचना की पारदर्शिता के मूल में कर्तव्य के साथ भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसे दिनांक 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस स्वीकृति के 120वें दिन अर्थात् 12 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम पूर्णतः प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम की धारा 4 (1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वह अपने समस्त अभिलेख सम्यक रूप से तालिकाबद्ध प्रारूप में बनाए रखें, जिससे कि सूचना के अधिकार को सुविधाजन्य बनाया जा सके। इस अधिनियम में आम नागरिक को सूचना का अधिकार त्वरित एवं सुविधाजनक स्वरूप में उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत प्रावधान किये गये हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन तंत्र को आम जनता के प्रति पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों से यह भी अपेक्षा है कि ऐसे समस्त अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के उपयुक्त हैं, यथासंभव उपलब्ध समय-सीमा एवं संसाधनों के तहत कम्प्यूटरीकृत एवं नेटवर्क से जुड़े हुये संधारित किये जायें तथा ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुविधायुक्त बनाई जा सकें।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रावधानों की पूर्ति के लिये राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा इस सूचना पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तिका के प्रकाशन में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विशेष ध्यान रखते हुए, इस प्रयोजन से निर्धारित स्वरूप में इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तिका के तैयार करने में मूल अवधारणा यह रही है कि भारत का कोई भी नागरिक जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की गतिविधियों की जानकारी की अपेक्षा रखता हो, उसे समस्त मूल सूचनाएं प्राप्त करने में यह सूचना पुस्तिका एक प्रभावी माध्यम बन सके, तथा विशेष जानकारी की आवश्यकता महसूस होने पर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिये सुगमता से संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत कर सकें।

इस सूचना पुस्तिका के समस्त अध्याय सामान्यतः सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की दृष्टि से सूचना पुस्तिका तैयार करने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार ही रखे गये हैं। संस्थान के क्रियाकलापों एवं विशिष्टताओं के अनुरूप विषयों के क्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किये गये हैं, ताकि यह पुस्तिका संदर्भ की दृष्टि से सुगम साबित हो सके।

अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि सूचना पुस्तिका के संबंध में और विवरण प्राप्त करने हेतु राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के उप संचालक (विस्तार) से सम्पर्क किया जा सकता है। इस पुस्तिका में सम्मिलित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य सूचना की आवश्यकता होने पर संस्थान के स्तर पर नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं उप संचालक (प्रशासन) से सम्पर्क किया जा सकता है। इस प्रकार की अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 के अनुसार होगी।

अध्याय – 2 (मैनुअल –1)

संगठन की विषिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 उद्देश्य

संस्थान का उद्देश्य प्रदेश के वानिकी क्षेत्र की समस्याओं पर अनुसंधान कर उनका निराकरण करना है। राष्ट्रीय वन नीति में निहित निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थान द्वारा अनुसंधान कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं :

1. वनों एवं वन संसाधनों (मृदा, जल, जैवविविधता, इत्यादि) का संरक्षण।
2. प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वनों की उत्पादकता में वृद्धि।
3. वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि।
4. वन संसाधनों व वन उत्पादों का कुशल उपयोजन।
5. सतत वन प्रबंधन।
6. वनाश्रित समुदायों की आय एवं रोजगार में वृद्धि।

2.2 मिषन

संस्थान का मिषन अनुकूल एवं व्यवहारिक अनुसंधान कार्यक्रमों द्वारा प्रदेश में वनों तथा वानिकी क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास में योगदान करना है।

2.3 संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सभी राज्यों में अग्रणी रहा है। तत्कालीन मध्य प्रान्त एवं बेरार में सर्वप्रथम वर्ष 1922 में श्री जे०डब्ल्यू० वेस्ट की वनवर्धनिक के रूप में नियुक्ति के साथ ही प्रदेश में वन अनुसंधान कार्य का सूत्रपात हुआ। अतः यह केवल संयोग नहीं है कि देश का प्रथम राज्य स्तरीय वन अनुसंधान संस्थान भी 27 जून 1963 को प्रदेश के जबलपुर नगर में स्थापित हुआ। यह संस्थान जबलपुर में नर्मदा रोड पर पोलीपाथर क्षेत्र में लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में हरीतिमायुक्त परिसर में संचालित है।

2.3.1 संस्थान का स्वायत्तषासीकरण

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमोंक 3/6/94/10-1, दिनांक 29.10.1994 द्वारा वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए संस्थान को स्वषासी घोषित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 2 अगस्त 1995 को मध्यप्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, सोसायटी समिति का मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीयन किया गया।

2.4 कर्तव्य

वन विभाग, वृक्ष उत्पादकों, कृषकों, वनाधारित उद्योगों तथा अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा प्रस्तुत वनवर्धनिक एवं वन प्रबंधन समस्याओं पर अनुसंधान कर उनका निराकरण करना।

2.5 मुख्य कृत्य

1. वन आवरण एवं वन उत्पादकता वृद्धि हेतु तकनीकों का विकास।
2. वन उत्पादों के सतत् विदोहन, प्रसंस्करण, भंडारण हेतु तकनीकों तथा विपणन सूचना प्रणाली का विकास।
3. शोध लेखों एवं पुस्तिकाओं का प्रकाशन।
4. वृक्ष सुधार हेतु उच्च गुणवत्ता के बीजों एवं पौध सामग्री का प्रदाय।
5. विकसित तकनीकों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
6. वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु संगोष्ठियों का आयोजन।

2.6 प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

- विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के रोपण संबंधी एवं औषधीय पौधों की कृषि तकनीक की जानकारी।
- कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमलें को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके प्राथमिक प्रसंस्करण भंडारण, ऊतक संवर्धन एवं रोपणी विकसित करने संबंधी प्रशिक्षण।
- बीज प्रमाणीकरण।
- मृदा विश्लेषण।
- उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
- औषधीय पौधों विशेषतः सर्पगंधा, गूगल, ब्राम्ही, गुडमार एवं कलिहारी का रासायनिक परीक्षण कर रासायनिक रेखाचित्र तैयार करना।
- लघु वनोपज विपणन सूचना तंत्र का विकास एवं त्रैमासिक पत्रिका "वन धन" के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना।
- पर्यावरण संघात निर्धारण एवं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वनीकरण हेतु परामर्श।
- इमारती वृक्ष प्रजातियों के फार्म फैक्टर तालिका, प्राप्ति तालिका और आयतन तालिका तैयार करना।
- लोक संरक्षित क्षेत्रों एवं अन्य वन क्षेत्रों में वन संसाधन सर्वेक्षण।
- वानिकी विषयों पर अनुसंधानरत पी0एच0डी0 छात्रों को मार्ग दर्शन एवं अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- वन विभाग, अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों तथा व्यक्तियों को वानिकी विषयों पर व्यावसायिक तकनीकी परामर्श देना।
- तकनीकी मैनुअल इत्यादि तैयार करना।

2.7 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य वन अनुसंधान संस्थान मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत स्वायत्तषासी संस्थान है। संस्था के संचालन निर्देशन एवं नियंत्रण तथा संस्था की समस्त आय, चल एवं अचल संपत्ति के आधिपत्य हेतु निम्नानुसार संचालक मंडल का गठन किया गया है।

2.7.1 संचालक मंडल

संचालक मंडल में निम्नलिखित पदाधिकारी है :

1	माननीय मंत्री, वन, मध्य प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव वन अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4	प्रमुख सचिव वित्त/प्रतिनिधि	सदस्य
5	महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद/प्रतिनिधि	सदस्य
6	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान/प्रतिनिधि	सदस्य
7	प्रबंध संचालक, राज्य वन विकास निगम, भोपाल	सदस्य
8	प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल	सदस्य
9	दो प्रख्यात वन वैज्ञानिक (षासन द्वारा नामांकित)	सदस्य
10	संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष

2.7.2 संचालक – 1

संस्थान का प्रमुख संचालक होता है जो संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर संचालक मंडल के निर्णयों का क्रियान्वयन करता है। इस पद पर राज्य शासन द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थिति की जाती है।

2.7.3 अपर संचालक – 1

संस्थान में अपर संचालक का एक पद स्वीकृत है जिस पर राज्य शासन द्वारा मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की पदस्थिति प्रतिनियुक्ति पर की जाती है।

2.7.4 उप संचालक – 4

संस्थान में उप संचालक के चार पद स्वीकृत है जिन पर राज्य शासन द्वारा वन संरक्षक/उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों की पदस्थिति प्रतिनियुक्ति पर की जाती है।

2.7.5 कार्यरत शाखायें एवं अनुभाग

संस्थान में निम्नलिखित अनुसंधान एवं सुविधा शाखाएँ कार्यरत है, अनुसंधान शाखाओं के प्रभारी समान्यतः वैज्ञानिक तथा अन्य शाखाओं के प्रभारी वनाधिकारी होते हैं :-


1. वृक्ष सुधार
2. वनवर्धन एवं मृदा विज्ञान
3. बीज

4. वन वनस्पति
5. वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण
6. जैवविविधता
7. वन अनुवांशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
8. वन मापिकी एवं सांख्यिकी
9. सामाजिक, आर्थिकी एवं विपणन
10. प्रचार, परामर्श एवं प्रशिक्षण
11. पुस्तकालय एवं प्रलेख्य
12. कम्प्यूटर एवं सूचना प्रणाली

उपरोक्त के अलावा संस्थान में निम्नलिखित अनुभाग कार्यरत है :-

1. स्थापना
2. लेखा
3. संपदा
4. भंडार एवं क्रय
5. वाहन

2.7.6 संगठन चार्ट



2.8 कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ

संस्थान द्वारा विभिन्न वृक्ष प्रजातियों तथा औषधीयों पौधों के उन्नत किस्म के बीजों तथा रोपण तकनीकों का विकास किया गया है। अतः वृक्ष उत्पादकों एवं औषधीय पौधों के उत्पादक कृषकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थान में उपलब्ध तकनीकों तथा बीज इत्यादि का लाभ उठाएँ एवं समस्याएँ आने पर संस्थान को अवगत कराएँ ताकि उन्हे समय पर उचित सलाह/मार्ग दर्शन उपलब्ध कराया जा सके।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था

संस्थान में प्रचार परामर्श एवं प्रशिक्षण शाखा की स्थापना की गई है जिनके द्वारा समय समय पर शोध पत्रिकाओं एवं शोध लेखों का प्रकाशन किया जाता है। संस्थान द्वारा त्रैमासिक, न्यूज लेटर, वानिकी संदेश एवं वनधन प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें वन अनुसंधान से संबंधित तथा लघु वनोत्पादों के बाजार मूल्यों एवं उनके रुझानों की सामयिक जानकारी दी जाती है। विभिन्न मेलों में संस्थान द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु स्टाल लगाए जाते हैं। इन मेलों में तकनीकी साहित्य का भी वितरण किया जाता है। कृषकों के लिए संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

जन शिकायतों की तुरत जाँच, अनुश्रवण व निराकरण सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है :-

- 1 डॉ. रामप्रकाश, उप संचालक
- 2 श्री आर. जी. सोनी, उप संचालक

2.11 कार्यालय का पता

राज्य वन अनुसंधान संस्थान
पोलीपाथर, नर्मदा रोड
जबलपुर - 482008 (म0प्र0)
दूरभाष : 0761-2665540, 2666529
फैक्स : 0761-2661304
ई-मेल : sdfri@redifmail.com, dsfri995@sancharnet.in

2.12

कार्यालय खुलने का समय : प्रातः 10.30 बजे
कार्यालय बंद होने का समय : शाम 5.30 बजे

अध्याय – 3 (मैनुअल – 2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

संस्थान के संचालक मंडल, अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य का विवरण निम्नानुसार है :-

3.1 संचालक मंडल

3.1.1 शक्तियाँ एवं कर्तव्य

1. संस्थान का प्रबंधन, निर्देशन एवं नियंत्रण एवं संस्था द्वारा प्रतिपादित अनुसंधान एवं संबद्ध कार्य कलापों को दिषा निर्देश प्रदाय करना।
2. संस्था की समस्त चल एवं अचल संपत्ति की सुरक्षा, व्यवस्था एवं अभिरक्षा करना।
3. संस्था की ओर से अनुदान एवं अन्य स्रोतो से पूँजी प्राप्त करना।
4. संस्था का वार्षिक बजट तैयार कराकर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
5. संस्थान द्वारा संचालित अनुसंधान प्रषिक्षण एवं संबद्ध केन्द्रों पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा एवं स्वीकृति प्रदान करना।
6. संस्था के अंतर्गत अनुसंधान एवं अन्य कार्य हेतु पदों का निर्माण एवं स्वीकृति प्रदाय करना। संचालक के पद को छोड़कर अन्य सभी पदों हेतु भर्ती नियम बनाना एवं विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करना। राज्य वन सेवा/भारतीय वन सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों से संबंधी प्रतिनियुक्ति शर्तें व नियम बनाना एवं प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदाय करना।
7. अन्य वानिकी अनुसंधान अथवा प्रषिक्षण से संबंधित संस्थाओं से विचार-विमर्ष एवं सहकार्य हेतु अनुबंध करना एवं दिषा निर्देश प्रदाय करना।
8. संस्था की ओर से सभी अनुबंधों को करना।
9. संस्था की ओर से वैधानिक कार्यवाही करना।
10. संस्था के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न समितियों को गठित करना।
11. संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा-जोखा का आंकलन कर उचित निर्देश देना।
12. संस्था के वार्षिक लेखा-जोखा की जाँच हेतु लेखा परीक्षक नियुक्त करना।
13. संस्था के सुचारु रूप से कार्य कलाप हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजित करना।
14. संस्था के कार्य कलापों के सुचारु रूप से संपादन हेतु समय-समय पर विभिन्न नियमों या निर्देशों में बदलाव करना।
15. संस्था की पूँजी निवेश हेतु समय-समय पर दिषा निर्देश प्रदाय करना।
16. अनुसंधान एवं अन्य कार्यों (परियोजना/अध्ययन, प्रषिक्षण) हेतु अध्येतावृत्ति संस्थापित करना। उपयुक्त अध्येताओं का चयन करना एवं निहित शर्तों पर वृत्ति प्रदाय करना।
17. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उप नियम एवं उपविधि संस्था की संपत्ति, निधि प्रबंध, कार्य कलापों, शक्ति एवं कर्तव्य संचालन अथवा दूसरे ऐसे प्रयोजनों के लिए जो आवश्यक समझे जावें तैयार कर क्रियान्वयन करना।
18. अन्य ऐसे सभी कार्य जो विषिष्ट उल्लेखित न हो व संस्था के उद्देश्यों एवं नियम तथा ज्ञापन के अनुरूप हो।

3.2 संचालक

3.2.1 शक्तियाँ

3.2.1.1 प्रशासनिक

1. संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर संचालक मंडल के निर्णयों का क्रियान्वयन करना।
2. संचालक मंडल के अनुमोदन पश्चात संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति के पदों को छोड़कर) की नियुक्ति एवं पदोन्नति करना।
3. क्रमोन्नति, वेतन निर्धारण, अवकाश स्वीकृति, अनुषात्मक कार्यवाही, शास्ति अधिरोपण इत्यादि।
4. संस्थान का सामान्य प्रशासन।
5. संस्थान में पदस्थ अधिकारियों/वैज्ञानिकों/कर्मचारियों आदि को कार्य आवंटन करना।
6. संस्थान परिसर के आवासीय भवनों का आवंटन इत्यादि।

3.2.1.2 वित्तीय

1. संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत बजट आवंटन के अंतर्गत व्यय की स्वीकृतियाँ देना।
2. बाहरी स्रोतों से अनुसंधान एवं अन्य परियोजनाओं हेतु राशि प्राप्त कर व्यय करना।
3. संचालक मंडल के अनुमोदन उपरांत संचित निधि एवं परिक्रामी निधि का संचालन करना।
4. वैधानिक प्रकरणों में संस्थान का प्रतिरक्षण करने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति करना एवं पारिश्रमिक स्वीकृत करना।

3.2.1.3 अन्य

- 1 अनुसंधान परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।
- 2 कन्सलटेंषी देना एवं संस्थान की ओर से कंसलटेंषी स्वीकार करना।

3.2.2.2 कर्तव्य

- 1 संस्थान में अनुसंधान के स्तर को बढ़ाने हेतु सतत प्रयास करना।
- 2 अनुसंधानकर्त्ताओं को आवश्यक सुविधाएँ व उचित वातावरण उपलब्ध कराना।
- 3 अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य संपादन में मार्गदर्शन देना तथा उनके कार्य पर नियंत्रण रखना।
- 4 संचालक मंडल तथा अनुसंधान सलाहकार समिति की नियमित बैठकों का आयोजन कराना तथा इनमें लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- 5 बाहरी स्रोतों से अनुसंधान परियोजनाओं हेतु राशि प्राप्त करने के प्रयास करना।

3.3 अपर संचालक

3.3.1 शक्तियाँ : संचालक द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियाँ ।

3.3.2 कर्तव्य :

- 1 अनुसंधान परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने में संस्थान के वैज्ञानिकों एवं अन्य अनुसंधानकर्त्ताओं को मार्गदर्शन देना ।
- 2 अनुसंधान परियोजनाओं का नियमित (त्रैमासिक अंतराल पर) अनुश्रवण करना ।
- 1 अन्य अनुसंधान संस्थानों, विष्वविद्यालयों आदि से अनुसंधान संबंधी समन्वय करना ।
- 4 सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करना ।
- 2 संचालक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का संपादन करना ।

3.4 उप संचालक (प्रशासन) एवं पदेन कार्यालय प्रमुख

3.4.1 शक्तियाँ

- 1 संस्थान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी की हैसियत से धनादेश जारी करना एवं लेखा पारित करना ।
- 2 संचालक द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियाँ ।

3.4.2 कर्तव्य:

1. संस्थान की स्थापना, लेखा, वाहन, भंडार/क्रय एवं संपदा शाखाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना ।
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी की हैसियत से व्यय पर नियंत्रण रखना ।
3. कार्यालय प्रमुख के कर्तव्यों का निर्वहन करना ।
4. संचालक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का संपादन करना ।

3.5 उप संचालक (अनुसंधान – 1 एवं 2)

3.5.1 शक्तियाँ – संचालक द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियाँ ।

3.5.2 कर्तव्य :

- 1 संचालक द्वारा सौंपी गई अनुसंधान शाखाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ।
- 2 संचालक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का संपादन करना ।

3.6 उप संचालक (विस्तार)

3.6.1 शक्तियाँ : संचालक द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियाँ ।

3.6.2 कर्तव्य

- 1 सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

- 2 संस्थान की पुस्तकालय /प्रलेख्य, प्रसार/परामर्ष/प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी शाखाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण
- 3 संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों तथा शोध कार्यों के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यवाही करना।
- 4 संचालक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का संपादन करना।

3.7 प्रशासनिक एवं संपदा अधिकारी

3.7.1 शक्तियाँ – संचालक द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियाँ।

3.7.2 कर्तव्य

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करना।
2. संस्थान परिसर की सुरक्षा व्यवस्था व रख-रखाव सुनिश्चित करना।
3. न्यायलयीन प्रकरणों में संस्थान की ओर से प्रभारी अधिकारी की हैसियत से प्रतिरक्षण की कार्यवाही करना।
4. अनुसंधान परिक्षेत्राधिकारी द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत समस्त प्रमाणकों का शत प्रतिशत सत्यापन करना।
- 5 संचालक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का संपादन करना।

3.8 शाखा प्रभारी

3.8.1 शक्तियाँ

- 1 शाखा में पदस्थ कर्मचारियों को कार्य आवंटन एवं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
- 2 संचालक द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियाँ।

3.8.2 कर्तव्य :

- 1 अनुसंधान परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना।
- 2 स्वीकृत एक्सन प्लान के अनुसार अनुसंधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनके भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति हेतु समस्त संभव प्रयास करना।
- 3 अनुसंधान परियोजनाओं के निर्धारित अवधि में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- 4 परियोजना पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंतिम परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- 5 विकसित तकनीकों के प्रचार-प्रसार हेतु साहित्य एवं प्रसार सामग्री तैयार करना।
- 6 शाखा की प्रयोगशालाओं एवं उनमें स्थापित उपकरणों का रख-रखाव एवं उनका समुचित उपयोग करना। उपकरणों की समय पर मरम्मत एवं सर्विसिंग की आवश्यकता की सूचना देना।
- 7 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपभोग्य सामग्री जैसे रसायन, ग्लासवेयर आदि की आवश्यकता का सही आकलन कर समय पर माँग पत्र प्रस्तुत करना एवं उनके उपयोग पर नियंत्रण रखना।
- 8 प्रयोगिक क्षेत्रों का रख-रखाव एवं निर्धारित समय पर आवश्यक आँकड़े एकत्रित कर उनका विप्लेषण आदि करना।

- 9 परियोजनाओं की आवश्यकता अनुसार तकनीकी सहायक एवं शोध अध्येयताओं को कार्य आवंटित कर पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना, अपर संचालक एवं उप संचालक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना एवं वैज्ञानिक अभिलेखों का उचित रख-रखाव करना।
- 10 शोध पत्रों को प्रकाशित कराना।

3.9 अनुसंधान परिक्षेत्राधिकारी

3.9.1 शक्तियाँ

- 1 अनुसंधान केन्द्र में पदस्थ कर्मचारियों को कार्य आवंटन एवं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
- 2 संचालक द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियाँ।

3.9.2 कर्तव्य

- 1 संस्थान परिसर की सुरक्षा एवं रख-रखाव करना।
- 2 अनुसंधान रोपणी एवं प्रायोगिक क्षेत्रों का रख-रखाव करना तथा आवश्यक मापन आँकड़े एकत्रित कर प्रस्तुत करना।
- 3 श्रमिकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उन्हें समय पर मजदूरी का सही भुगतान सुनिश्चित करना तथा समय पर अनुसंधान केन्द्र का मासिक लेखा प्रस्तुत करना।
- 4 अनुसंधान प्रायोगिक कार्यों में सहयोग करना, वर्मीकम्पोस्ट एवं पौधे तैयार करना एवं बेचना।
- 5 निर्माण/मरम्मत कार्यों के प्राकलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना एवं तदनुसार क्रियान्वयन कराना, आवश्यक माप पुस्तिकाएँ संधारित करना, वैज्ञानिक विश्रामगृह तथा हॉस्टल में विजिटर रजिस्टर संधारित करना।
- 6 परिक्रामी निधि का लेखा संपादित करना तथा उसमें समय पर राशि जमा करना, मनीरसीद बुक संधारित करना एवं 100 प्रतिशत कार्यों का भौतिक सत्यापन करना।
- 7 प्रशासनिक अधिकारी को किये गये कार्यों का निरीक्षण/सत्यापन कराना।

3.10 तकनीकी कर्मचारी

3.10.1 शक्तियाँ – निरंक

3.10.2 कर्तव्य

- 1 शाखा प्रभारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्य करना।
- 2 किसी परियोजना के प्रधान अन्वेषक होने की दशा में परियोजना से संबंधित समस्त कार्यों का समय पर संपादन करना।
- 3 संचालक अथवा संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

3.11 मुख्य लिपिक

3.11.1 शक्तियाँ – संचालक द्वारा समय-समय पर प्रदत्त शक्तियाँ।

3.11.2 कर्तव्य

- 1 संस्थान के मासिक लेखा का संधारण एवं समय पर अंकक्षण कराना तथा अंकक्षण आपत्तियों का समय पर निराकरण कराना।
- 2 कार्यालयीन लिपिकीय अमले के कार्यों पर नियंत्रण रखना एवं समय पर कार्यों का संपादन सुनिश्चित कराना।
- 3 उप संवितरक के कर्तव्यों का निर्वहन करना।
- 4 समय पर बजट तैयार कर प्रस्तुत करना, बिलों को प्रस्तुत करने के पूर्व जाँच करना, शाखाओं से प्रस्तुत होने वाले कार्यलेखों को शासकीय नियमावलियों/निर्देशों का अध्ययन कर प्रस्तुत करना, आंतरिक अंकक्षण करना, बैंक खातों का उचित संचालन, कैश बुक एवं लेजर पंजी तैयार कर अद्यतन रखना।
- 5 यात्रा अग्रिम, वन अग्रिम एवं पी.ओ.एल. अग्रिम समायोजन कराना तथा समय-समय पर अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना।
- 6 संस्थान में डाक से प्राप्त होने वाले समस्त पत्रों, रजिस्टर्ड पत्रों को संचालक के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना एवं गोपनीय/नाम से प्राप्त पत्रों को बिना खोले सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

3.12 अन्य लिपिकीय कर्मचारी

3.12.1 शक्तियाँ – निरंक

3.12.2 कर्तव्य

- 1 सौपें गए कार्यों का समय पर संपादन कराना।
- 2 विभिन्न लिपिकीय कर्मचारियों के पृथक-पृथक कर्तव्य निम्नानुसार है :-

शाखाओं के कर्तव्य एवं दायित्व

अ. क्र.	शाखा	कर्तव्य/दायित्व
1	स्टेनो	वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित समस्त पत्राचार एवं संधारण कार्य, संचालक, अपर संचालक से संबंधित समस्त पत्राचार, संचालक द्वारा अंग्रेजी मुद्रण, संचालक के समस्त कार्यालयीन एवं निवास के दूरभाष संबंधित समस्त पत्राचार एवं पंजी संधारण, समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की मासिक दौरा दैनंदिनियों का नस्तीकरण एवं संधारण, समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश लेखा का संधारण, फैक्स तथा एस.टी.डी. दूरभाष नम्बर उपलब्ध कराना, वार्षिक वन खेल प्रतियोगिता से संबंधित पत्राचार एवं आयोजन सूचना, संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित शिकायत संबंधित पत्राचार नस्ती संधारण, लेमीनेशन संबंधित कार्य, आकस्मिक आयोजन तथा राष्ट्रीयपर्व कार्यक्रमों की सूचना कार्य, सूचना अधिकार से संबंधित कार्य एवं संचालक द्वारा सौपें अन्य कार्यों का संपादन करना।
2	लेखा शाखा	वित्तीय प्रबंधन बजट तैयार करना, मासिक लेखा (अनुदान, वाह्य/आंतरिक परियोजना) तैयार करना, टी0ए0 बिलों का परीक्षण करना एवं समय पर पारित कराना, बैंक खाते की संचित निधि से एफ. डी.आर. तैयार कर ब्याज की राशि समय-समय पर जमा कराना। बैंक खातों का हर माह रिकन्सलेशन कराना, परियोजनावार लेजर एवं वार्षिक

		ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय-समय पर भेजना, विधान सभा/राज्य सभा/लोकसभा में व्यय से संबंधित उत्तर तैयार करना, व्यय का प्रतिवेदन तैयार करना, परियोजना वैज्ञानिक/परियोजना अन्वेषक से त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राप्त कर भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना तथा संचालक द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अन्य कार्य सम्पादित करना।
3	स्थापना शाखा	<ul style="list-style-type: none"> • वेतन देयक, वेतन देयक पंजी, वेतन स्लिप, कटौती संधारण पंजी, ई.पी.एफ. कटौती एवं चालान आदि अभिलेख निर्धारित प्रारूपों में संपादित करते हुए अद्यतन रखना। परियोजना के कर्मचारियों के मानदेय प्रमाणक पारित कराना, जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. पास बुक संघारित करना आदि। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/प्रतिभूति राशि की कटौती एवं वापसी/अन्तर देयक तैयार कर पारित कराना। • नियुक्ति आदेश/वेतनवृद्धि/अवकाश स्वीकृति/चिकित्सा देयक पारित करना/अनाज/त्यौहार, अग्रिम/पेंशन प्रकरण/अनुशासनात्मक कार्यवाही/ई.पी.एफ./आवास आवंटन/किराया/एवं पानी की राशि जमा कराना/वरिष्ठता सूची विभागीय जांच की कार्यवाही/क्रमोन्नति/पदोन्नति स्थानान्तरण/अमांग-अजांच/विधान सभा/लोकसभा/राज्य सभा प्रश्नों के उत्तर/सेवा अभिलेख भेजना व प्राप्त करना/वेतन निर्धारण/पदस्थिती/संचालक मण्डल में रखे गये प्रस्तावों व निर्णयों पर कार्यवाही/सामान्य पत्राचार पर कार्यवाही/कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर कार्यवाही/इनकम टैक्स T.D.S/बजट नामावली आदि से संबंधित समस्त कार्य समय पर संपादित करना एवं अभिलेखों का संधारण करना।
4	क्रय एवं भंडार शाखा	संस्थान के अंतर्गत उपयोग आने वाली समस्त सामग्री जैसे कॉमिकल्स, साइंटिफिक उपकरण, यंत्र, विद्युत सामग्री, स्टेशनरी, वाहनों की मरम्मत, फर्नीचर आदि क्रय से संबंधित सामग्री की आवश्यकता की समीक्षा कर निविदा/कोटेशन आमंत्रित करना, क्रय समिति की बैठक का आयोजन कराना तथा कार्यवाही विवरण तैयार करना, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना, क्रय आदेश जारी करना, प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन कराना, एवं प्राप्त बिलों का भुगतान कराना, भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना, भंडार कक्ष में रखे गये रिकार्ड को व्यवस्थित रखना, प्रिन्टिंग कार्य कराना, अनुपयोगी सामग्री का अपलेखन कराना, क्रय सामग्री का भंडार पंजी में प्रविष्टि कर सत्यापन कराना, भंडार में उपलब्ध सामग्री को आवश्यकता अनुसार वितरण करना, भंडार पेरीशेबल एवं नॉनपेरीशेबल पंजी का संधारण करना, वितरण पंजी संधारण करना एवं जिन्हें सामग्री प्रदाय की गई है, उनके हस्ताक्षर लेना आदि।
5	वाहन शाखा	ईंधन अग्रिम के लिये लॉग बुक की समस्त प्रविष्टियाँ कराना, लॉग बुक का सत्यापन, वाहन मरम्मत/पी.ओ.एल पंजी का संधारण करना, वाहनों

		के मरम्मत के संबंध में कोटेशन प्राप्त करना एवं तुलनात्मक पत्रक तैयार कर भंडार शाखा को प्रस्तुत करना, अधिकृत विक्रेता से वाहन मरम्मत का कार्य कराने हेतु संबंधित वाहन के वाहन चालक को निर्देश पत्र देना, टायर ट्यूब क्रय कराने की कार्यवाही करना, वाहन चालकों की ड्युटी लगाना, मरम्मत/पी.ओ.एल. कार्य के देयकों (बिल) का समय पर भुगतान कराना, वाहनों के रख-रखाव की व्यवस्था कराना, पुराने वाहनों के औसत के आधार पर अपलेखन की कार्यवाही करना। अनुपयोगी सामग्री जैसे ट्यूब/टायर, पार्ट्स का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करना, तथा उनका अनुपयोगी होने पर अपलेखन की कार्यवाही करना, प्रोटोकॉल ड्युटी हेतु वाहन उपलब्ध कराना एवं वाहन प्रभारी अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना।
6	आवक जावक शाखा	संस्थान में प्राप्त होने वाले पत्रों को आवक पंजी में दर्ज करते हुये संबंधित शाखा को त्वरित वितरित करना, संस्थान की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त पत्रों को जावक पंजी में दर्ज करने के उपरांत अंकित पतों के आधार पर स्टाम्प रजिस्टर में दर्ज कर तत्काल पोस्ट कराना, आदेश/अर्ध शासकीय पत्र/स्टाम्प पंजी का संधारण करना, स्टाम्प पंजी का सक्षम अधिकारी से प्रतिमाह सत्यापन कार्य कराना, अति महत्वपूर्ण तथा गोपनीय अभिलेखों/पत्रों को गोपनीयता के आधार पर तत्काल आवक/जावक कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना, प्रतिदिन के आवक जावक कार्य उसी दिन तत्समय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना आदि।

3.13 वाहन चालक

3.13.1 शक्तियाँ – निरंक

3.13.2 कर्त्तव्य

- 1 वाहन प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार वाहन का चालन एवं उचित रख-रखाव करना।

अध्याय-4 (मैनुअल-3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर म.प्र. को शासन वन विभाग के आदेश क्र. /6/94/10-1 भोपाल दिनांक 29.10.1994 के द्वारा वानिकी अनुसंधान संस्थान के रूप में स्वशासी संस्थान घोषित किया गया है जिसका मध्यप्रदेश राज्य वन अनुसंधान सोसायटी के रूप में म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के नियम-7 के 2 अगस्त 1995 को पंजीकरण किया गया। पंजीकरण क्रमांक 26878 है।

सोसायटी की स्थापना के उद्देश्य

1. मध्यप्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान का प्रशासन, प्रबंधन एवं संचालन करना।
2. वानिकी में उच्च अनुसंधान एवं अध्ययन तथा उससे संबंधित विषयों पर कार्य प्रारम्भ करना।
3. अंतरसकाय और बहुउद्देशीय सकाय के रूप में कार्य करते हुए राज्य वन विभाग अन्य संस्थानों तथा वनों पर आधारित उद्योगों की वानिकी तथा सम्बद्ध विषयों पर अनुसंधान आवश्यकता की पूर्ति करना।
4. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के लिए वानिकी से सम्बद्ध अध्ययन करना और परामर्श देना।
5. संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केन्द्रों, भवनों तथा आधारित संरचना का रख-रखाव।
6. वानिकी साहित्य, पुस्तकालय प्रलेख्य तथा अन्य साहित्य का रख-रखाव।
7. वानिकी तथा सम्बद्ध विषयों के संबंध में अनुसंधान हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति आदि उपर्युक्त शोधार्थी को प्रदाय करना।
8. वानिकी अनुसंधान प्रपत्र, ग्रंथ/कृति/पुस्तकें, नियतकालिक पत्रिकाएँ और वानिकी से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना।
9. वानिकी विषयों पर भाषण, विचार, गोष्ठी, कार्यशाला, अध्ययन दल आदि को आयोजित करना।
10. वन विज्ञान, पर्यावरण वानिकी तथा सम्बद्ध विषयों पर विशिष्ट प्रशिक्षण देना।
11. देश-विदेश के विभिन्न वन विभागों, वन विकास निगमों, वन अनुसंधान संस्थानों, महाविद्यालयों एवं वानिकी अनुसंधान केन्द्रों, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों, कृषि एवं अन्य विश्वविद्यालयों जिनका पूर्ण-रूपेण या आंशिक रूप से इस संस्थान से समान उद्देश्य हैं, वानिकी अनुसंधान के संबंध में समन्वय स्थापित करना।
12. मानसेवी एवं अन्य उपाधि प्रदाय करना।

13. संरक्षक, संबद्धता एवं अन्य प्रकार की व्यवसायिक मानसेवी सदस्यता अथवा कार्यालय जैसा संस्था आवश्यक समझे स्थापित करना।
14. सनद्, प्रमाणपत्र एवं विशिष्ट उपाधि ऐसे प्रशिक्षित प्रत्याशियों को प्रदाय करना एवं इनके प्रदाय हेतु मानक निर्धारित करना।
15. उपरोक्त उद्देश्य या उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए समस्त आवश्यक एवं उचित कार्य करना।

कार्य क्षेत्र

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था का कार्यक्षेत्र मुख्यतः सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है।

नियम

- (अ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिये म.प्र. शासन के सेवा नियम लागू हैं।
- (ब) स्वशासी संस्थान के कर्मचारियों के लिए सेवा भर्ती नियम 2003 बनाये गये हैं, जो दिनांक 28.06.2003 से प्रभावशील है। म.प्र. शासन के कर्मचारियों के लिये लागू अन्य नियम जैसे—चिकित्सा, परिचर्या/यात्रा भत्ता/अवकाश/मूलभूत नियम/ई.पी.एफ. नियम/सिविल सेवा (आचरण) नियम/सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम/विभागीय जांच एवं दण्ड प्रक्रिया से समस्त नियम संस्थान के कर्मचारियों के लिये भी लागू है।

अध्याय – 5 (मैनुअल - 4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 नीति निर्धारण के संबंध में परामर्श/भागीदारी का प्रावधान एवं व्यवस्था

नीति निर्धारण के संबंध में परामर्श/भागीदारी के प्रावधान हेतु अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसमें वन विभाग, विष्वविद्यालयों, अन्य अनुसंधान संस्थाओं, वनाधारित उद्योगों, कृषकों तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि रहते हैं। अनुसंधान सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक में अनुसंधान कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है, तथा नवीन अनुसंधान कार्यों हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। समिति द्वारा नवीन प्रस्तावों के अनुमोदन के आधार पर तदनुसार वार्षिक अनुसंधान कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	विषय का नाम	क्या इस विषय पर जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	अनुसंधान प्राथमिकताओं का निर्धारण	हाँ	अनुसंधान सलाहकार समिति में सभी स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है।
2	वार्षिक अनुसंधान कार्यक्रम का अनुमोदन	हाँ	उपरोक्तानुसार
3	अनुसंधान कार्यों की प्रगति की समीक्षा	हाँ	उपरोक्तानुसार

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधियों से भागीदारी के प्रावधान तथा व्यवस्था का विवरण :

संस्थान का मुख्य कार्य वानिकी से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करना है। उक्त अनुसंधान कार्य सामान्यतया संस्थान की प्रयोगशालाओं एवं प्रायोगिक क्षेत्रों में किए जाते हैं। किन्तु जन भागीदारी से संबंधित अनुसंधान कार्यों जैसे सतत् वन प्रबंधन, जैव विविधता का सर्वेक्षण, उन्नत बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रसार, औषधियों पौधों की खेती की वैज्ञानिक तकनीक इत्यादि में स्थानीय जन समुदायों का सहयोग लिया जाता है एवं उनके लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

अध्याय – 6 (मैनुअल – 5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

6.1 उपलब्ध दस्तावेज देने की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र०	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज प्राप्ति प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	प्रशासनिक	<ol style="list-style-type: none"> संचालक मंडल की बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रशासनिक ढाँचा एवं अमले की जानकारी संस्थान के कर्मचारियों की वरीयता सूची संस्थान के सेवा भर्ती नियम षिकायतों के निराकरण की स्थिति 	शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार	उप संचालक (प्रशासन)
2	वित्तीय	<ol style="list-style-type: none"> अनुदान आवंटन एवं व्यय की जानकारी बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन, प्राप्त राशि एवं व्यय की जानकारी प्रमाणक स्वीकृत जॉब दरें क्रय समिति की कार्यवाही का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन 	शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार	उप संचालक (प्रशासन)
3	तकनीकी	<ol style="list-style-type: none"> वार्षिक अनुसंधान प्रतिवेदन अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रदाय हेतु उपलब्ध बीजों एवं पौधों की जानकारी प्रकाशित शोध पत्र 	शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार	उप संचालक (विस्तार)

अध्याय – 7 (मैनुअल – 6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 संस्थान के संचालक मंडल के संचालक मंडल का गठन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

1	माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव वन अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4	प्रमुख सचिव वित्त/प्रतिनिधि	सदस्य
5	महानिर्देश, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद/प्रतिनिधि	सदस्य
6	निर्देशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान/प्रतिनिधि	सदस्य
7	प्रबंध संचालक, राज्य वन विकास निगम, भोपाल	सदस्य
8	प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल	सदस्य
9	दो प्रख्यात वन वैज्ञानिक (शासन द्वारा नामांकित)	सदस्य
10	संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष

7.2 संस्थान द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों के परामर्श आदि के संबंध में अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :-

1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं अध्यक्ष, अनुसंधान सलाहकार समिति राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर सतपुड़ा भवन भोपाल भोपाल (म०प्र०)	अध्यक्ष
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी), वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल (म०प्र०)	सदस्य
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास), सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)	सदस्य
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म०प्र० वानिकी परियोजना, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)	सदस्य
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन एव जे० एफ० एम०), सतपुड़ा भवन,	सदस्य

	भोपाल (म०प्र०)	
6	मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना), सतपुड़ा भवन, भोपाल	सदस्य
7	मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान एवं विस्तार) वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल	सदस्य
8	महानिदेशक, म०प्र० विज्ञान एवं तकनीकी परिषद् साइंस हिल्स, नेहरू नगर, भोपाल	सदस्य
9	प्रबंध संचालक म०प्र० राज्य वन विकास निगम पंचानन भवन न्यू मार्केट भोपाल	सदस्य
10	प्रबंध संचालक, म०प्र० लघु वनोपज निगम खेल परिसर, भोपाल	सदस्य
11	निदेशक उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, नीमखेड़ा जबलपुर	सदस्य
12	संचालक (अनुसंधान) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
13	विभागाध्यक्ष, जीव विज्ञान प्रभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर	सदस्य
14	वन संरक्षक, मध्य वृत्त, जबलपुर जबलपुर	सदस्य
15	वन मंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल जबलपुर जबलपुर	सदस्य
16	संचालक भारतीय वन प्रबंध संस्थान, नेहरू नगर भोपाल	सदस्य
17	वन संरक्षक राष्ट्रीय कोल इंडिया लिमिटेड सिगरौली म०प्र०	सदस्य
18	प्रशासनिक अधिकारी सेन्ट्रल इंडिया, बोर्ड प्रोडक्ट्स इटारसी	सदस्य

19	संचालक, उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल	सदस्य
20	डीन, बेटनरी एवं एनीमल हसबेन्डरी, वेटनरी कालेज, साउथ सिविल लाइंस जबलपुर	सदस्य
21	ठाकुर ओम नारायण सिंह ग्राम – खुरसीपार पोस्ट आफिस – छपारा जिला – सिवनी (म0प्र0)	सदस्य
22	श्री एच0के0 वर्मा, अध्यक्ष अरण्य भारती वन औषधीय अनुसंधान संस्थान, 220 सेक्टर बी. शाहपुरा भोपाल	सदस्य
23	संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	सदस्य सचिव

अध्याय 8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान के आदेश क्र./149 दिनांक 21.09.05 द्वारा संस्थान के लिए निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया गया :-

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र० सं०	नाम	पदनाम	एस० टी० डी० कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्या०	आवास			
1	श्री ए० के० पवार	प्रशासनिक अधिकारी	0761	2665540	2666432	2661304	sdfri@rediffmail.com	ई-3 एस० एफ० आर० आइ० केम्पस, पोलीपाथर जबलपुर

लोक सूचना अधिकारी

क्र० सं०	नाम	पदनाम	एस० टी० डी० कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्या०	आवास			
1	श्री आर० जी० सोनी	उपसंचालक (विस्तार)	0761	2665540	2661783	2661304	sdfri@rediffmail.com	सी-2 एस० एफ० आर० आइ० केम्पस, पोलीपाथर जबलपुर

अपीलीय अधिकारी


क्र० सं०	नाम	पदनाम	एस० टी० डी० कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्या०	आवास			
1	श्री एस० पी० सिंह	अपर संचालक	0761	2665540	2669031	2661304	sdfri@rediffmail.com	एस० एफ० आर० आइ० केम्पस, पोलीपाथर जबलपुर

अध्याय – 9 (मैनुअल – 8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

संस्थान में निर्णय लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

- 1 संस्थान में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार संचालक मंडल को है।
- 2 संस्थान के रोजमर्रा के प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी विषयों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-



निम्नलिखित नियमों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं :-

- 1 संस्थान, सोसायटी की उपलब्धियाँ/नियम
- 2 संस्थान के भर्ती नियम, 2003
- 3 राज्य शासन के नियम (जिन विषयों पर संस्थान द्वारा अलग से नियम नहीं बनाये गए हैं)

अध्याय 10 (मैनुअल 9)
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

कार्यालय दूरभाष (ईपीबीएक्स) – (0761) 2665540, 2666529		
फैक्स नम्बर : (0761) 2661304 ई-मेल : sdfri@rediffmail.com		
पदनाम	नाम	दूरभाष
संचालक	डॉ० पी०के० शुक्ला	Ext. 20
अपर संचालक	श्री एस०पी० सिंह	Ext. 33
उप संचालक (विस्तार)	श्री आर०जी० सोनी	Ext. 35
उप संचालक (अनुसंधान)	डॉ० रामप्रकाश	Ext. 22
उप संचालक (प्रशासन)	श्री प्रशांत ए० जाधव	Ext. 23
प्रशासनिक एवं संपदा अधिकारी	श्री ए०के० पवार	Ext. 21
सहायक वन संरक्षक (मापिकी)	श्री के० बी० तिवारी	Ext. 43
वन वनस्पतिज्ञ	डॉ० आर०के० पाण्डेय	Ext. 27
आर०आर०ओ० जबलपुर	श्री के०एल० काँवरे	Ext. 30
विपणन विशेषज्ञ	डॉ० प्रतिभा भटनागर	Ext. 39
वृक्ष सुधार वैज्ञानिक	डॉ० परवेज जलिल	Ext. 32
वन अनुवांशिकीय वैज्ञानिक	डॉ० एस० के० तिवारी	Ext. 46
जैव विविधता वैज्ञानिक	डॉ० जे० एल० श्रीवास्तव	Ext. 37
बीज वैज्ञानिक	डॉ० अर्चना शर्मा	Ext. 41
वन वनस्पतिज्ञ	डॉ० ओ० पी० चौबे	Ext. 26
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	श्रीमती ऋचा सेठ	Ext. 43
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	श्री राकेश जैन	Ext. 29
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	डॉ० अंजना राजपूत	Ext. 42
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	श्री एस० एस० रघुवंशी	Ext. 36
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	डॉ० प्रतिक्षा चतुर्वेदी	Ext. 40
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	श्री के० एल० वर्मा	Ext. 34
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	डॉ० सचिन दीक्षित	Ext. 32
हरबेरियम कीपर (संविदा)	श्री जटाशंकर	Ext. 51
मुख्य लिपिक	श्री बी०डी० बैरागी	Ext. 25
सहायक ग्रेड 3	श्री आर० के० गर्ग	Ext. 38
सहायक ग्रेड 3	श्री पी० डी० फ्रांसिस	Ext. 49
सहायक ग्रेड 3	श्री एम० के० तिवारी	Ext. 50
लेजर सहायक	श्री एस. चक्रवर्ती	Ext. 48
क्षेत्र सहायक	श्री आनन्द अग्रवाल	Ext. 45
दफ्तरी	श्री जे०पी० वर्मा	Ext. 24

अध्याय – 11 (मैनुअल – 10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

संस्थान के अंतर्गत भारतीय वन सेवा तथा राज्य वन सेवा के अधिकारियों की पदस्थिति के अतिरिक्त कार्यपालिक अमले के अंतर्गत वन क्षेत्रपाल, वनपाल, वनरक्षक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं गैर तकनीकी अमला जो कार्यरत हैं, जिनके वेतनमान निम्नानुसार हैं :-

अ. क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का पद नाम	वेतनमान (रूपये)	स्वीकृत पद
भारतीय वन सेवा के अंतर्गत			
1	संचालक	22400-525-24500	1
2	अपर संचालक	18400-500-22400	1
3	उप संचालक	14300-400-18300	4
राज्य वन सेवा के अंतर्गत			
1	सहायक संचालक (सहा. वन संरक्षक)	8000-275-9000	3
2	वन वनस्पतिज्ञ (पारिस्थितिकी वैज्ञानिक)	8000-275-13500	1
वानिकी प्रोफेशनल (कार्यपालिक)			
1	वन क्षेत्रपाल	5500-175-9000	9
2	वन रक्षक	3050-75-3950-80-4590	21
वैज्ञानिक पद			
1	पारिस्थितिकी वैज्ञानिक	10000-325-15200	1
2	अनुवांशिकी विशेषज्ञ	8000-275-13500	1
3	बीज विशेषज्ञ	8000-275-13500	1
4	वृक्ष सुधार विशेषज्ञ	8000-275-13500	1
5	वन वनस्पतिज्ञ	8000-275-13500	1
6	जैव विविधता वैज्ञानिक	8000-275-13500	1
7	विपणन विशेषज्ञ	8000-275-13500	1
तकनीकी पद			
1	सांख्यिकीय सहायक	5500-175-9000	1
2	तकनीकी सहायक	5500-175-9000	16
3	लेब टेक्नीशियन	5500-175-9000	7
4	प्रयोगशाला प्रभारी	5500-175-9000	3
5	लेजर सहायक	4500-125-7000	3
6	हरबेरियम सहायक	3050-75-3950-80-4590	1
7	प्रयोगशाला अटेंडेंट	3050-75-3950-80-4590	3

8	फील्ड असिस्टेण्ट	3050-75-3950-80-4590	3
गैर तकनीकी पद			
1	मानचित्रकार प्रथम / द्वितीय	6500-200-10500 / 5000-150-8000	1
2	शीघ्र लेखक द्वितीय	5500-175-9000	2
3	शीघ्र लेखक तृतीय	4500-125-7000	2
4	मुख्य लिपिक	4500-125-7000	1
5	लेखापाल	4000-100-6000	2
6	सहायक ग्रेड 3	3050-75-3950-80-4590	4
7	वाहन चालक	3050-75-3950-80-4590	5
8	दफ्तरी	2750-70-3800-75-4400	1
9	प्यून / अर्दली	2550-55-2660-60-3200	7
10	खलासी	2550-55-2660-60-3200	1
11	डाकरनर	2550-55-2660-60-3200	2
12	चौकीदार	2550-55-2660-60-3200	2
13	माली	2550-55-2660-60-3200	3
14	स्वीपर	2550-55-2660-60-3200	2

संस्थान में वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु फ्लॉक्सीबिल कम्प्लीमेंटिंग प्रणाली लागू है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित वेतनमान स्वीकृत है :-

अ	वैज्ञानिकों के लिए	वेतनमान
	वैज्ञानिक एस-बी	8000-275-135000
	वैज्ञानिक एस-सी	10000-325-15200
	वैज्ञानिक एस-डी	12000-375-16500
	वैज्ञानिक एस-ई	14300-400-18300
	वैज्ञानिक एस-एफ	16400-450-20000
	वैज्ञानिक एस-जी	18400-500-22400
ब	तकनीकी कर्मचारियों के लिए	
	टी.ई-1	3050-75-3950-80-4590
	टी.ई-2	4500-125-7000
	टी.ई-3	5500-175-9000
	टी.ई-4	6500-200-10500
	टी.ई-5	8000-275-13500

अध्याय – 12 (मैनुअल – 11)

आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

12.1 राज्य शासन द्वारा संस्थान को माँग संख्या 10-आयोजनेत्तर 2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी 01-वानिकी 004-अनुसंधान 9184-राज्य वन अनुसंधान संस्थान 42-सहायक अनुदान 007-अन्य के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में स्वीकृत अनुदान, विमुक्त राशि एवं व्यय की जानकारी नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

वर्ष	स्वीकृत आवंटन (लाख रूपयों में)	विमुक्त राशि (लाख रूपयों में)	व्यय (लाख रूपयों में)
2004-05	176.77	176.77	175.30
2005-06	157.60	105.00	63.31 (अगस्त 2005 तक)

12.2 परियोजनाओं हेतु वाह्य सहायता भी प्राप्त होती है। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में (अगस्त 2005 तक) प्राप्त राशि तथा व्यय की जानकारी नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

(राशि लाख रूपयों में)

वर्ष	वाह्य सहायता अभिकरण की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	कुल प्राप्त राशि	व्यय
2004-05	15	35	79.63	56.91
2005-06	16	36	21.58	17.99

अध्याय – 13 (मैनुअल – 12)
अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 संस्थान द्वारा कोई अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाते हैं।

अध्याय – 14 (मैनुअल – 13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं के संबंध में विवरण

14.1 यह विषय इस संस्थान से संबंधित नहीं है।

अध्याय – 15 (मैनुअल – 14) कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

14.1 संस्थान का मुख्य उद्देश्य राज्य के वानिकी क्षेत्र से संबंधित विषयों पर अनुसंधान कार्य कर तकनीकी का विकास करना है। इस उद्देश्य प्राप्त हेतु संस्थान द्वारा अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं जिन्हें अनुसंधान सलाहकार समिति के अनुमोदन पश्चात् क्रियान्वयन किया जाता है।

संस्थान के सामान्य प्रशासनिक कार्यों हेतु संस्थान/राज्य द्वारा निर्धारित नियमों व प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

अध्याय – 16 (मैनुअल – 15) इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

16.1 संस्थान द्वारा सभी शाखाओं में कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिए गए हैं एवं कम्प्यूटर उपयोग को बढ़ावा किया गया है। अधिक से अधिक सूचनाएं इलैक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध कराई जा रही हैं। संस्थान की वेबसाइट पर अधिकांश जानकारी एवं जन उपयोगी आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराया गया है ।

अध्याय – 17 (मैनुअल – 16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 संस्थान द्वारा अनुसंधान सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए की गई व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है :-

1	पुस्तकालय	लगभग 12000 शोध पुस्तिकाएँ/पत्रिकाएँ/लेजर फाइल्स उपलब्ध है।
2	अखबार	महत्वपूर्ण अखबार जैसे टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स आदि संस्थान में प्राप्त किए जाते हैं तथा संस्थान की शोध उपलब्धियों को जन संधारण तक पहुंचाने हेतु अखबारों में प्रकाशित किया जाता है।
3	प्रदर्शनी/मेला	वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों में संस्थान द्वारा स्टॉल लगाये जाते हैं जिनमें जन उपयोगी अनुसंधान साहित्य व जानकारी प्रदर्शित की जाती है।
4	संग्रहालय	संस्थान में एक संग्रहालय बनाया गया है प्रतिदिन सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक भ्रमण हेतु खुला रहता है।
5	सूचना पटल	संस्था के सूचना पटल पर अनुसंधान गतिविधियों तथा अन्य उपयोगी जानकारी समय-समय पर निरंतर लगाई जाती है।
6	प्रकाशन	संस्थान द्वारा त्रैमासिक न्यूज लैटर "वानिकी संदेश" तथा "वन धन" के माध्यम से नियमित रूप से आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं तथा समय-समय पर बुलेटिन इत्यादि प्रकाशित किये जाते हैं।
7	अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कराने की व्यवस्था आदि हेतु	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के साथ ही संस्थान की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं अधिनियम के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश सूचना के अधिकार (फीस एवं अपील) नियम 2005 के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए संस्थान में व्यवस्था की गई है।

अध्याय – 18 (मैनुअल – 17)

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

18.1 जन मानस द्वारा सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में :-

1. आवेदन पत्र
2. शुल्क
3. सूचना आवेदन पत्र माँगे जाने संबंधी कुछ बिन्दु (टिप्स)
4. सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया

18.3 जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में।

18.4 विस्तार गतिविधियाँ

त्रैमासिक प्रकाशन

1 वानिकी संदेश (अंग्रेजी एवं हिन्दी)

वार्षिक शुल्क

- संस्थाओं के लिए रू0 300/-
- व्यक्तिगत के लिए रू0 150/-

2 वन धन (हिन्दी)

वार्षिक शुल्क

- संस्थाओं के लिए रू0 50/-
- एक प्रति रू0 05/-

पत्रिकाएँ/न्यूज लेटर की राशि संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में देय होगी।

3 जर्नल ऑफ ट्रापिकल फॉरेस्ट्री (अंग्रेजी)

वार्षिक शुल्क

- संस्थाओं के लिए रू0 400/-
- व्यक्तिगत के लिए रू0 200/-

शोध पत्रिका की राशि कोषाध्यक्ष, सोसायटी फॉर ट्रापिकल फॉरेस्ट्री साइंटिस्ट, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में देय होगी।

18.5 विस्तार बुलेटिन (Extension Bullitens)

S N.	Bulletin No.	Title	Year	Price
1	2	Volume Table of <i>Terminalia tomentosa</i> for M.P.	1963	50.00
2	4	Yield Table of Sal for M.P.	1966	50.00
3	5	Seed Directory vol. I	1967	30.00
4	9	Standard Volume Table of Teak for S/Chhindwara in M.P.	1971	70.00
5	10	Family <i>Ranunculaceae</i> to <i>Polygonaceae</i> in M.P. (Monograph of 13 family)	1971	25.00
6	11	Teak growth tables of different ecological forest types in M.P.	1971	60.00
7	12	Standard volume tables of <i>Boswellia serrata</i> for Nimar tract in M.P.	1971	60.00
8	15	Bark Table for <i>Boswellia serrata</i>	1971	25.00
9	16	Family <i>Linaceae</i> to <i>Berseraceae</i>	1974	25.00
10	18	Species for plantation in M.P. (Reprint)	1977	75.00
11	22	Bamboo Plantation	1986	50.00
12	23	Fuel wood removal by head loads-A case study of Jabalpur	1987	20.00
13	24	Eucalyptus cultivation in M.P. - JTF	1987	25.00
14	26	Socio-economic Potential of Minor Forest Produce in M.P.	1991	75.00
15	28	Material for forest flora of Madhya Pradesh	1996	125.00
16	29	Tissue culture protocols for Teak, Neem and Khamer	1997	150.00
17	30	Growth statistics of forest plantations	1997	75.00
18	31	Medicinal plants of M.P. Distribution, cultivation and trade	1998	200.00
19	32	Local Volume Tables for Teak, Sal and other species	1997	60.00
20	33	Price Trends of some medicinal plants	1998	80.00
21	34	Biological Diversity of SFRI premises	1998	50.00
22	35	Seed Production in Teak Seed Orchards in M.P.	1998	100.00
23	36	Seed Certification protocol of forest tree species	1998	50.00
24	37	Tissue culture protocols for important medicinal plants of M.P.	1998	30.00
25	38	Macro-propagation protocol of some tree and medicinal plants species.	1998	40.00
26	39	Yield and stand tables of teak in M.P.	1998	200.00
27	40	An Annotated Bibliography of Bamboo	1999	50.00
28	41	Status survey of Non Timber Forest Produce in primary Tribal Markets: A case study in Amarkantak Plateau.	1999	100.00
29	42	Application of laboratory seed testing results in nursery practices.	2000	50.00
30	43	म0प्र0 में भिलवा का सामाजिक आर्थिक विश्लेषणात्मक अध्ययन ।	2000	100.00
31	44	Silviculture research in M.P.	2000	150.00

32	45	Handbook of Bamboos with particular reference to M.P.	2002	80.00
33	46	औषधीय पौधों की खेती की प्रचार प्रसार पत्रिका ।	2003	150.00
34	47	Medicinal herb in trade : a study of <i>Chlorophytum</i> Sps. in M.P.	2003	15.00
35	48	Collection processing and marketing of <i>Buchnanian lanzan</i> (Chironji) in Madhya Pradesh	2005	

18.6 विस्तार श्रृंखला (Extension Series)

Ext. Series	Title	Year	Price
1.	Teak Seed collection and uses	1981	5.00
2.	वृक्षारोपण में बीजों का महत्व	1981	15.00
3.	म.प्र. में साल रोपण की तकनीक	1991	10.00
4.	पड़त भूमि विकास हेतु उपयुक्त प्रजाति लेडिंया	1991	2.00
5.	ईसबगोल	1994	2.00
6.	सर्पगन्धा	1994	3.00
7.	रोसा घास	1995	5.00
8.	A mechanical device for pre sowing treatment of teak seeds	1995	5.00
9.	वृक्षारोपण कैसे करें	1996	15.00
10.	S.F.R.I Publications	1999	40.00
11.	माइकोराइजा (वैम)	1999	-
12.	राजजोबियम	1999	-
13.	एजेटोबेक्टर	2000	-
14.	पी.एस.बी. (फास्फोरस विलायक)	2000	-
15.	आँवला : वनो से किसानों तक	2000	40.00
16.	बाँस : वनो से किसानों तक	2000	40.00
17.	सागौन : वनो से किसानों तक	2000	60.00
18.	खमेर : वनो से किसानों तक	2000	60.00
19.	यूकेलिप्टस : वनो से किसानों तक	2000	50.00
20.	बच (एकोरस केलेमस)	2001	3.00
21.	सतावर (एस्पेरेगस रेसीमोसस)	2001	3.00
22.	सफेद मूसली (क्लोरोफाइटम बोरिविलियानम)	2001	3.00
23.	कलिहारी (ग्लोरिओसा सुपरबा)	2001	3.00
24.	सनाय (केसिया आगस्टफोलिया)	2001	3.00
25.	सर्पगन्धा (रावोल्फिया सर्पेन्टिना)	2001	3.00
26.	अष्वगन्धा (विद्यानिया सोमनीफेरा)	2001	3.00
27.	मुष्कदाना (एबलमासकस मार्स्केटस)	2001	3.00
28.	लेमनग्रास (सिंबोपोगन फ्लेक्सिपोसस)	2001	3.00

29.	मेन्था या पोदीना (मेन्था आर्वेसिस)	2001	3.00
30.	लघुवनोपजों का प्राथमिक प्रसंस्करण (भाग 1)	2003	15.00

विस्तार बुलेटिन/विस्तार सीरिज की राषि डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में देय होगी। एवं बुलेटिन संख्या 24 की राषि डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा कोषाध्यक्ष, सोसायटी फॉर ट्रापिकल फॉरेस्ट्री साइंटिस्ट राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में देय होगी।

18.7 संस्थान द्वारा अन्य विभागो/संस्थाओं को प्रदत्त सेवाएँ :-

विभाग/संस्था	विषय
कोल इंडिया, बालको, भिलाई स्टील प्लांट	कोयला, बाक्साइट, लौह अयस्क, उत्खनन क्षेत्रों की वनीकरण तकनीक।
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> ■ सरदार सरोबर जल विद्युत परियोजना के जल संग्रहण एवं कमांड क्षेत्रों का पर्यावरणीय अध्ययन। ■ लोअर गोई सिंचाई एवं गोपालपुर जल विद्युत परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	उड़नशील राख स्थल पर रोपण तकनीक।
लघुवनोपज संघ	<ul style="list-style-type: none"> ■ स्टीविया के उत्तम गुणवत्ता वाले पौधों का कृषि तकनीक का विकास ■ विभिन्न वृक्ष प्रजातियों पर लाख की खेती एवं प्रचार प्रसार ■ स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बांस परियोजना के सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन
मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग	धमतरी के रुद्री जलाशय के भराव से वन, वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन
भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय	महत्वपूर्ण औषधीय प्रजातियों की कृषि तकनीक
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन	पचमढी एवं अमरकंटक क्षेत्रों में वायोस्फियर रिजर्व स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण
रेल विभाग	शिवपुरी, ग्वालियर के बीच नई रेल लाइन हेतु वन भूमि अधिग्रहण प्रकरण में पर्यावरणीय अध्ययन
भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	पचमढी बायोस्फियर रिजर्व के बफर जोन में सतत वन प्रबन्धन हेतु आधारों एवं सूचकांकों का विकास

मध्य प्रदेश वन विभाग	<ul style="list-style-type: none"> ● साल बोरर प्रभावित क्षेत्रों में कीट के जीवन चक्र का अध्ययन, महामारी के रोकथाम तथा नियंत्रण के उपाय ● सागौन एवं साल वृक्षों की असामयिक मृत्यु के कारणों का अध्ययन ● जलाऊ काष्ठ, गोंद, महुआ इत्यादि के सूखत प्रतिशत का निर्धारण ● उच्च तकनीक सिंचित सागौन वृक्षारोपणों का पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक मूल्यांकन
कृषक एवं वृक्ष उत्पादक	<ul style="list-style-type: none"> ● औषधीय पौधों की कृषि तकनीक। ● सागौन, यूकेलिप्टस, बांस इत्यादि की रोपण तकनीक एवं रोपण सामग्री का प्रदाय
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली	सतपुड़ा पठार में संकटापन्न औषधीय पौधों की पहचान एवं अंतःस्थलीय संरक्षण
नोबोड, बोर्ड	नेशनल नेटवर्क ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ जेट्रोफा एण्ड अवेरनेष प्रोग्राम
मध्यप्रदेश वन विकास निगम	मध्य प्रदेश वन विकास निगम द्वारा सागौन वृक्षारोपण के मूल्यांकन
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल	<ul style="list-style-type: none"> ■ एनर्जी प्लानटेशन बबूल, सूबबूल एवं रतनजोत के प्रादर्ष भूखण्डों का निर्माण ■ वर्मीकल्चर एवं वर्मीकम्पोस्ट का कार्बनिक अवषेषों से उत्पादन तकनीक का विकास एवं प्रचार—प्रसार

18.8 प्रशिक्षण

राज्य वन अनुसंधान संस्थान में विभिन्न विषयों पर वनकर्मी, कृषक, शोध छात्रों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। तालिका निम्नानुसार है :-

अनु0 क्र0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	दिवस	शुल्क
1	औषधियों एवं संगंध पौधों की कृषि तकनीक एवं विपणन	28 से 30 नवम्बर 2005 23 से 25 फरवरी 2006 29 से 31 मई 2006	3 दिवस	* 1500/- ** 1200 /-
2	जैव प्रौद्योगिकी, पौध प्रवर्धन, ऊतक संवर्धन	12 से 30 सितम्बर 2005	15 दिवस	* 2000/- ** 1500 /-
		17 से 27 अक्टूबर 2005	10 दिवस	* 1700/- ** 1200 /-
		07 से 26 नवम्बर 2005	15 दिवस	* 2000/- ** 1500 /-
		01 से 31 दिसम्बर 2005 05 से 13 फरवरी 2006 01 से 30 मार्च 2006	30 दिवस	* 4000/- ** 3000 /-
3	कायिक प्रवर्धन	01 से 03 फरवरी 2006 07 से 09 फरवरी 2006 14 से 16 फरवरी 2006 20 से 22 फरवरी 2006	03 दिवस	*1500 **1200

*आवासीय

**गैर आवासीय

18.9 उपलब्ध रोपण सामग्री

• औषधिय पौधों का जीन बैंक (Medicinal plant gene bank)

मध्यप्रदेश में औषधीय पौधे का जैव विविधता का भंडार है जिसमें औषधीय पौधों वनों में नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं। राज्य वन अनुसंधान संस्थान में औषधीय पौधों का अनुसंधान कार्य 1965-66 से किया जा रहा है। इन औषधीय पौधों का जलवायु क्षेत्र आधारित सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किया गया है। तथा इन औषधीय पौधों का जलवायु एवं मिट्टी आधारित तकनीक व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के लिए किया गया है। वर्तमान में संस्थान के पास 204 औषधीय पौधों, जो मध्यप्रदेश के विभिन्न जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें जीन बैंक में संग्रहित किया गया है।

जीन बैंक की तालिका निम्नानुसार है :-

S.No.	Botanical Name	सामान्य नाम
1.	<i>Abelmoschus moschatus</i>	वन भिण्डी
2.	<i>Abrus precatorius</i> (Black)	रत्ती काली
3.	<i>Abrus precatorius</i> (Red)	रत्ती लाल
4.	<i>Abrus precatorius</i> (White)	रत्ती सफेद
5.	<i>Abutilon indicum</i>	कंघी
6.	<i>Acacia concinana</i>	शीकाकाई
7.	<i>Achyranthus aspera</i>	अपामार्ग
8.	<i>Acorus calamus</i>	बच
9.	<i>Adhatoda vasica</i>	अडूसा
10.	<i>Adiantum lunulatum</i>	हंस राज
11.	<i>Aegle marmelos</i>	बेल
12.	<i>Aerva lanata</i>	गोरखगाजा
13.	<i>Agave sisalana</i>	केतकी
14.	<i>Allium purpurium</i>	जंगली लहसून
15.	<i>Allium sativum</i>	लहसून
16.	<i>Aloe barbadensis</i>	ग्वार पाटा
17.	<i>Aloe vera</i>	ग्वार पाटा
18.	<i>Alpinia galanga</i>	कुलंगन
19.	<i>Ampelocissus arnottiana</i>	जंगली अंगूर
20.	<i>Andrographis paniculata</i>	कडु चिरायता
21.	<i>Annona muricata</i>	लक्ष्मण फल
22.	<i>Argemone mexicana</i>	स्वर्ण श्री, कटीली
23.	<i>Argyrea speciosus</i>	समंदर सोख
24.	<i>Argyreia nervosa</i>	समंदर सोक
25.	<i>Arisaema tortuosum</i>	सूरन
26.	<i>Aristolochia indica</i>	ईश्वरमूल
27.	<i>Artemisia vulgaris</i>	भीम कपूर
28.	<i>Artocarpus lakoocha</i>	बड़हल
29.	<i>Asclepius curassavica</i>	कउरा डोंडी
30.	<i>Asparagas plumosus</i>	सतावर
31.	<i>Asparagus racemosus</i>	सतावर
32.	<i>Azadirachta indica</i>	नीम
33.	<i>Bacopa monnieri</i>	ब्रम्ही
34.	<i>Barginia ciliata</i>	पथरचूर
35.	<i>Barleria prionitis</i>	कठसरैया
36.	<i>Basella alba</i>	पोइ
37.	<i>Biophytum sensitivum</i>	अचकुनी
38.	<i>Bixa orellana</i>	लटकन
39.	<i>Boerhaavia diffusa</i>	पूनर्नवा
40.	<i>Bombax malbaricum</i>	सेम्ल
41.	<i>Bryonopsis lanciniosa</i>	षिवलिंगी
42.	<i>Caesalpinia bonduc</i>	गटारन

43.	<i>Calotropis gigantea</i>	मदार
44.	<i>Careya arborea</i>	कुम्ही
45.	<i>Cassia occidentalis</i>	कसौंदी
46.	<i>Cassia angustifolia</i>	सोनमुखी
47.	<i>Cassia fistula</i>	अमलतास
48.	<i>Cassia occidentalis</i>	कसौंधी
49.	<i>Cassia tora</i>	चरोटा
50.	<i>Catharanthus roseus</i> (Pink)	सदाबहार
51.	<i>Catharanthus roseus</i> (White)	सदाबहार
52.	<i>Celastrus paniculata</i>	मालकांगनी
53.	<i>Centella asiatica</i>	ब्रम्हा, मण्डूकपर्णी
54.	<i>Centratherum anthelmentium</i>	वन जीरा
55.	<i>Chlorophytum arundinacium</i>	सफेदमूसली
56.	<i>Chlorophytum borivillianum</i>	सफेदमूसली
57.	<i>Cissampelos pareira</i>	अखनादी
58.	<i>Cissus quadrangularis</i>	हड़जोड़
59.	<i>Citrullus colocynthis</i>	इन्द्रायण
60.	<i>Cleome viscosa</i>	हुरहुर
61.	<i>Clerodendron serratum</i>	भारंगी
62.	<i>Clitoria ternatea</i>	अपराजिता
63.	<i>Coccinia cordifolia</i>	कुंदरू
64.	<i>Cocculus hirsutus</i>	जल जमनी की बेल
65.	<i>Coffea arabica</i>	काफी
66.	<i>Coleus aromaticus</i>	पत्थरचूर
67.	<i>Commifora mukul</i>	गुग्गल
68.	<i>Costus speciosus</i>	केवकंद
69.	<i>Crinum asiaticum</i>	सुदर्षन
70.	<i>Crotalaria juncea</i>	सन
71.	<i>Curculigo orchioides</i>	काली मूसली
72.	<i>Curcuma angustifolia</i>	तीखुर
73.	<i>Curcuma aromatica</i>	वन हल्दी
74.	<i>Curcuma caesia</i>	काली हल्दी
75.	<i>Cymbopogon flexuosus</i>	अगियाघास
76.	<i>Cymbopogon martinii</i>	रोसाघास
77.	<i>Cyperus scariosus</i>	नागरमोथा
78.	<i>Datura metel</i>	धतूरा काला
79.	<i>Datura stramonium</i>	धतूरा
80.	<i>Desmodium trifolium</i>	तीन पत्ती
81.	<i>Dioscoria bulbifera</i>	रतालू
82.	<i>Dioscoria alata</i>	खमालू
83.	<i>Dioscoria daemona</i>	कडुआ कांदा
84.	<i>Eclipta alba</i>	भृगराज
85.	<i>Elettaria cardamomum</i>	छोटीइलायची
86.	<i>Euphorbia hirta</i>	दूधी
87.	<i>Euphorbia tirucalli</i>	कोपल सेहुड़

88.	<i>Evolvulus alsinoides</i>	शंखपुष्पी
89.	<i>Ficus carica</i>	अंजीर
90.	<i>Ficus krishnae</i>	कृष्ण बड
91.	<i>Ficus recimosa</i>	गूलर
92.	<i>Ficus religiosa</i>	पीपल
93.	<i>Gloriosa superba</i>	कलिहारी
94.	<i>Gossypium herbaceum</i>	वन कपास
95.	<i>Grewia hirsuta</i>	कुकरौंघा
96.	<i>Gymnema sylvestre</i>	गुड़मार
97.	<i>Hedychium coronarium</i>	गुलबकावली
98.	<i>Hemidesmus indicus</i>	अनन्तमूल
99.	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	जासौन
100.	<i>Hydrocotyle asiatica</i>	ब्रम्हा
101.	<i>Indigofera tinctoria</i>	नील
102.	<i>Ipomoea digitata</i>	विलाईकन्द
103.	<i>Jatropha curcas</i>	रतनजोत
104.	<i>Kaempferia rotunda</i>	भुइचम्पा
105.	<i>Lavendula spp</i>	लेवेन्डर
106.	<i>Leea macrophylla</i>	ढोलासमुद्र
107.	<i>Leontis nepetaefolia</i>	हीजुरचेइ
108.	<i>Madhuca longifolia</i>	महुआ
109.	<i>Mangifera indica</i>	आम
110.	<i>Martynia annua</i>	हत्थाजोडी
111.	<i>Mentha spicata</i>	पहाड़ीपुदीना
112.	<i>Merremia emarginata</i>	मुस्कानी
113.	<i>Mimosa pudica</i>	लाजवन्ती, छुईमुई
114.	<i>Morus alba</i>	तुत, तुतरी
115.	<i>Mucuna pruriens</i>	किवाँच
116.	<i>Murraya koenigii</i>	मीठानीम
117.	<i>Musa superba</i>	केला
118.	<i>Nerium indicum</i>	कनेर
119.	<i>Nerium odorum</i>	कनेर
120.	<i>Nicotiana plumbaginifolia</i>	तम्बाकू
121.	<i>Nyctanthes arbor-tristis</i>	हरसिंगार
122.	<i>Ocimum sanctum</i>	कालातुलसी
123.	<i>Ocimum sanctum</i>	तुलसी
124.	<i>Operculina turpenthum</i>	निषोथ
125.	<i>Oroxylum indicum</i>	ष्योनाक
126.	<i>Oryza meyeriana</i>	वन धान
127.	<i>Oxalis corniculata</i>	अमरुल साग
128.	<i>Paederia foetida</i>	गंध प्रसारणी
129.	<i>Paederia scandens</i>	गज प्रसारणी
130.	<i>Pandanus odoratissimus</i>	केवड़ा
131.	<i>Peucedamum nagpureense</i>	तेजराज
132.	<i>Phyllanthus niruri</i>	जंगली आँवला, भुई आँवला

133.	<i>Phyllanthus simplex</i>	भुई आँवला
134.	<i>Physalis minima</i>	टंकारी
135.	<i>Piper betle</i>	पान
136.	<i>Piper longum</i>	पिप्पली
137.	<i>Piper nigrum</i>	कालीमिर्च
138.	<i>Plantago ovata</i>	ईषबगोल
139.	<i>Plumbago capensis</i>	चित्रा
140.	<i>Plumbago zeylancia</i>	चित्रक
141.	<i>Pogostemon cablin</i>	सौविस
142.	<i>Prosopis cineraria</i>	खेजरा
143.	<i>Psidium guajava</i>	अमरुद
144.	<i>Psoralea corylifolia</i>	बाकुची
145.	<i>Pterocarpus santalinus</i>	लाल चंदन
146.	<i>Rauwolfia serpentina</i>	सर्पगन्धा
147.	<i>Rauwolfia tetraphylla</i>	सर्पगन्धा भेद
148.	<i>Rubia cordifolia</i>	मंजीठ
149.	<i>Ruta graveolens</i>	पिसमारुम, सादाब, सतारी
150.	<i>Sansevieria roxburghiana</i>	मुरुबा
151.	<i>Saraca asoca</i>	सीता अषोक
152.	<i>Scoparia dulcis</i>	जस्टीमधु
153.	<i>Sesbania grandiflora</i>	अगस्त्य
154.	<i>Sida acuta</i>	बरियार
155.	<i>Smilax macrophylla</i>	चोबचीनी
156.	<i>Solanum indicum</i>	बरहट्टा
157.	<i>Solanum nigrum</i> (Black fruit)	मकोय
158.	<i>Solanum nigrum</i> (Red fruit)	मकोय
159.	<i>Solanum verium</i>	कटेली, रेंगनी
160.	<i>Solanum xanthocarpum</i>	भटकटैया
161.	<i>Spilanthes acumella</i>	अकरकरा
162.	<i>Spilanthes calva</i>	अकरकरा
163.	<i>Strychnos nux-vomica</i>	कुचला
164.	<i>Swertia angustifolia</i>	चिरायता
165.	<i>Syzygium cuminii</i>	जामुन
166.	<i>Tephrosia purpurea</i>	सरफोंका
167.	<i>Terminalia belerica</i>	बहेड़ा
168.	<i>Terminalia chebula</i>	हर्रा
169.	<i>Thalictrum javanicum</i>	ममीरी
170.	<i>Thespesia lampas</i>	जं कपास
171.	<i>Tinospora cordifolia</i>	गिलोय, गुरुचि
172.	<i>Tribulus terrestris</i>	गोखरू
173.	<i>Tridax procumbens</i>	पथरचटा
174.	<i>Tylophora asthmatica</i>	अन्तामूल
175.	<i>Urena lobata</i>	बचीटा
176.	<i>Urginia indica</i>	जंगलीप्याज

177.	<i>Vallis solanacea</i>	श्रामसार, दूधी
178.	<i>Vetiveria zizanioides</i>	खस
179.	<i>Vitex negundo</i>	निर्गुण्डी
180.	<i>Wedelia calendulacea</i>	भांगरा, भृगराज
181.	<i>Withania sominifera (red)</i>	अष्वगंधा
182.	<i>Withania sominifera (yellow)</i>	अष्वगंधा
183.	<i>Woodfordia fruticosa</i>	घवई
184.	<i>Zingiber zerumbet</i>	नरकचूर
185.	<i>Zizyphus nummularia</i>	झरबेरी

18.10 औषधीय पौधों की मूल्य सूची :

संस्थान में निम्नानुसार औषधीय पौधों बिक्रय हेतु उपलब्ध है जो निम्नानुसार है :-

अनु क्र०	वैज्ञानिक नाम	सामान्य नाम	वर्तमान में तैयार पौधों का मूल्य दर (रूट ट्रेनर/पोलीपाट)	(मूल्य प्रतिनग)
				एक वर्ष पुराना तैयार पौधों का मूल्य दर (रूट ट्रेनर/पोलीपाट)
1.	<i>Abelmoschus moschatus</i>	वन भिण्डी	5.00	10.00
2.	<i>Abrus precatorius (Black)</i>	रत्ती काली	10.00	15.00
3.	<i>Abrus precatorius (Red)</i>	रत्ती लाल	10.00	15.00
4.	<i>Abrus precatorius (White)</i>	रत्ती सफेद	10.00	15.00
5.	<i>Abutilon indicum</i>	कंधी	5.00	10.00
6.	<i>Acacia concinana</i>	शीकाकाई	5.00	10.00
7.	<i>Achyranthus aspera</i>	अपामार्ग	5.00	10.00
8.	<i>Acorus calamus</i>	बच	5.00	7.00
9.	<i>Adhatoda vasica</i>	अडूसा	5.00	10.00
10.	<i>Adiantum lunulatum</i>	हंस राज	20.00	30.00
11.	<i>Aegle marmelos</i>	बेल	5.00	10.00
12.	<i>Aerva lanata</i>	गोरखगाजा	5.00	10.00
13.	<i>Agave sisalana</i>	केतकी	5.00	10.00
14.	<i>Allium purpurium</i>	जंगली लहसून	10.00	15.00
15.	<i>Aloe barbadensis</i>	ग्वार पाटा	5.00	7.00
16.	<i>Alpinia galanga</i>	कुलंगन	20.00	30.00
17.	<i>Ampelocissus arnottiana</i>	जंगली अंगूर	10.00	15.00
18.	<i>Andrographis paniculata</i>	कडु चिरायता	5.00	10.00
19.	<i>Annona muricata</i>	लक्ष्मण फल	20.00	30.00
20.	<i>Argyreia nervosa</i>	समंदर सोक	5.00	10.00
21.	<i>Arisaema tortuosum</i>	सूरन	15.00	20.00
22.	<i>Aristolochia indica</i>	ईश्वरमूल	15.00	20.00
23.	<i>Artemisia vulgaris</i>	भीम कपूर	10.00	15.00
24.	<i>Artocarpus lakoocha</i>	बड़हल	20.00	30.00
25.	<i>Asclepius curassavica</i>	कउरा डोंडी	5.00	10.00

26.	<i>Asparagas plumosus</i>	सतावर	10.00	15.00
27.	<i>Asparagus officinalis</i>	सतावर	10.00	15.00
28.	<i>Asparagus racemosus</i>	सतावर	5.00	10.00
29.	<i>Azadirachta indica</i>	नीम	5.00	10.00
30.	<i>Bacopa monnieri</i>	ब्रम्ही	10.00	15.00
31.	<i>Barginia ciliata</i>	पथरचूर	5.00	10.00
32.	<i>Barleria prionitis</i>	कठसरैया	10.00	15.00
33.	<i>Basella alba</i>	पोइ	5.00	10.00
34.	<i>Bixa orellana</i>	लटकन	5.00	10.00
35.	<i>Boerhaavia diffusa</i>	पूनर्नवा	5.00	7.00
36.	<i>Bombax malbaricum</i>	सम्हल	5.00	10.00
37.	<i>Bryonopsis lanciniosa</i>	षिवलिंगी	5.00	10.00
38.	<i>Caesalpinia bonduc</i>	गटारन	5.00	10.00
39.	<i>Calotropis gigantea</i>	मदार	5.00	10.00
40.	<i>Careya arborea</i>	कुम्ही	15.00	30.00
41.	<i>Cassia occidentalis</i>	कसौंदी	5.00	10.00
42.	<i>Cassia angustifolia</i>	सोनमुखी	5.00	10.00
43.	<i>Cassia fistula</i>	अमलतास	5.00	10.00
44.	<i>Cassia occidentalis</i>	कसौंदी	5.00	10.00
45.	<i>Cassia tora</i>	चरोटा	5.00	-
46.	<i>Catharanthus roseus</i> (Pink)	सदाबहार	5.00	10.00
47.	<i>Catharanthus roseus</i> (White)	सदाबहार	5.00	10.00
48.	<i>Celastrus paniculata</i>	मालकांगनी	10.00	15.00
49.	<i>Centella asiatica</i>	ब्रम्हा, मण्डूकपर्णी	5.00	10.00
50.	<i>Centratherum anthelmentium</i>	वन जीरा	5.00	10.00
51.	<i>Chlorophytum borivilianum</i>	सफेदमूसली	Tuber Rs. 450 /kg	Tuber Rs. 450 /kg
52.	<i>Cissampelos pareira</i>	अखनादी	15.00	20.00
53.	<i>Cissus quadrangularis</i>	हड़जोड़	10.00	15.00
54.	<i>Citrullus colocynthis</i>	इन्द्रायण	50.00	100.00
55.	<i>Cleome viscosa</i>	हुरहुर	5.00	7.00
56.	<i>Clerodendron serratum</i>	भारगी	10.00	15.00
57.	<i>Clitoria ternatea</i>	अपराजिता	15.00	20.00
58.	<i>Cocculus hirsutus</i>	जल जमनी की बेल	5.00	10.00
59.	<i>Coffea arabica</i>	काफी	20.00	30.00
60.	<i>Coleus aromaticus</i>	पत्थरचूर	10.00	15.00
61.	<i>Commifora mukul</i>	गुग्गल	10.00	15.00
62.	<i>Costus speciosus</i>	केवकंद	10.00	15.00
63.	<i>Crinum asiaticum</i>	सुदर्षन	10.00	15.00
64.	<i>Crotalaria juncea</i>	जगंली सन	5.00	7.00
65.	<i>Curcuma angustifolia</i>	तीखुर	10.00	15.00
66.	<i>Curcuma aromatica</i>	वन हल्दी	10.00	15.00
67.	<i>Curcuma caesia</i>	काली हल्दी	15.00	20.00
68.	<i>Cymbopogon flexuosus</i>	अगियाघास	5.00	7.00

69.	<i>Cymbopogon martinii</i>	रोसाघास	5.00	7.00
70.	<i>Cyperus scariosus</i>	नागरमोथा	5.00	7.00
71.	<i>Datura metel</i>	धतूरा काला	10.00	15.00
72.	<i>Datura stramonium</i>	धतूरा	5.00	7.00
73.	<i>Desmodium trifolium</i>	तीन पत्ती	5.00	7.00
74.	<i>Dioscoria bulbifera</i>	रतालू	10.00	15.00
75.	<i>Dioscoria alata</i>	खमालू	10.00	15.00
76.	<i>Dioscoria daemona</i>	कडुआ काँदा	10.00	15.00
77.	<i>Eclipta alba</i>	भृगराज	5.00	10.00
78.	<i>Elettaria cardamomum</i>	छोटीइलायची	10.00	15.00
79.	<i>Euphorbia hirta</i>	दूधी	5.00	7.00
80.	<i>Euphorbia tirucalli</i>	कोपल सेहुँड	5.00	7.00
81.	<i>Evolvulus alsinoides</i>	शंखपुष्पी	5.00	7.00
82.	<i>Ficus carica</i>	अंजीर	5.00	7.00
83.	<i>Ficus krishnae</i>	कृष्ण बड	5.00	10.00
84.	<i>Ficus recimosa</i>	गूलर	5.00	10.00
85.	<i>Ficus religiosa</i>	पीपल	5.00	10.00
86.	<i>Gloriosa superba</i>	कलिहारी	10.00	-
87.	<i>Gossypium herbaceum</i>	वन कपास	5.00	7.00
88.	<i>Grewia hirsuta</i>	कुकुरौंधा	5.00	7.00
89.	<i>Gymnema sylvestre</i>	गुड़मार	10.00	15.00
90.	<i>Hedychium coronarium</i>	गुलबकावली	10.00	15.00
91.	<i>Hemidesmus indicus</i>	अनन्तमूल	5.00	7.00
92.	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	जासौन	5.00	7.00
93.	<i>Hydrocotyle asiatica</i>	ब्रम्हा	5.00	10.00
94.	<i>Indigofera hirsuta</i>		5.00	7.00
95.	<i>Indigofera tinctoria</i>	नील	5.00	7.00
96.	<i>Ipomoea digitata</i>	विलाईकन्द	10.00	15.00
97.	<i>Jatropha curcas</i>	रतनजोत	5.00	7.00
98.	<i>Kaempferia rotunda</i>	भुइचम्पा	10.00	15.00
99.	<i>Lavendula spp</i>	लेवेन्डर	10.00	10.00
100.	<i>Leea macrophylla</i>	ढोलासमुद्र	10.00	10.00
101.	<i>Leontis nepetaefolia</i>	हीजुरचेइ	5.00	10.00
102.	<i>Madhuca longifolia</i>	महुआ	5.00	10.00
103.	<i>Mangifera indica</i>	आम	5.00	10.00
104.	<i>Martynia annua</i>	हत्थाजोड़ी	5.00	10.00
105.	<i>Mentha spicata</i>	पहाड़ीपुदीना	5.00	10.00
106.	<i>Merremia emarginata</i>	मुस्कानी	5.00	10.00
107.	<i>Mimosa pudica</i>	लाजवन्ती, छुईमुई	5.00	10.00
108.	<i>Morus alba</i>	तुत, तुतरी	5.00	10.00
109.	<i>Mucuna pruriens</i>	किवाँच	5.00	10.00
110.	<i>Murraya koenigii</i>	मीठानीम	5.00	10.00
111.	<i>Musa superba</i>		-	20.00
112.	<i>Nerium indicum</i>	कनेर	5.00	10.00
113.	<i>Nerium odorum</i>	कनेर	5.00	10.00

114.	<i>Nicotiana plumbaginifolia</i>	तम्बाकू	10.00	20.00
115.	<i>Nyctanthes arbor -tristis</i>	हरसिंगार	5.00	10.00
116.	<i>Ocimum sanctum</i>	कालातुलसी	5.00	10.00
117.	<i>Ocimum sanctum</i>	तुलसी	5.00	10.00
118.	<i>Operculina turpenthum</i>	निषोथ	5.00	10.00
119.	<i>Ophioglossum Spp.</i>		10.00	15.00
120.	<i>Oroxylum indicum</i>	ष्योनाक	20.00	30.00
121.	<i>Oryza meyeriana</i>	वन धान	5.00	10.00
122.	<i>Oxalis corniculata</i>	अमरुल साग	3.00	5.00
123.	<i>Paederia foetida</i>	गंध प्रसारणी	20.00	30.00
124.	<i>Paederia scandens</i>	गज प्रसारणी	20.00	30.00
125.	<i>Pandanus odoratissimus</i>	केवड़ा	10.00	15.00
126.	<i>Phyllanthus niruri</i>	जंगली आँवला, भुई आँवला	5.00	10.00
127.	<i>Phyllanthus simplex</i>	भुई आँवला	5.00	10.00
128.	<i>Physalis minima</i>	टंकारी	5.00	10.00
129.	<i>Piper betle</i>	पान	10.00	20.00
130.	<i>Piper longum</i>	पिप्पली	5.00	10.00
131.	<i>Piper nigrum</i>	कालीमिर्च	10.00	15.00
132.	<i>Plantago ovata</i>	ईषबगोल	5.00	10.00
133.	<i>Plumbago capensis</i>	चित्रा	20.00	30.00
134.	<i>Plumbago zeylancia</i>	चित्रक	5.00	10.00
135.	<i>Pogostemon cablin</i>	सौविस	5.00	10.00
136.	<i>Prosopis cineraria</i>	खेजरा	5.00	10.00
137.	<i>Psidium guajava</i>	अमरुद	5.00	10.00
138.	<i>Psoralea corylifolia</i>	बाकुची	5.00	10.00
139.	<i>Pterocarpus santalinus</i>	लाल चंदन	50.00	75.00
140.	<i>Rauwolfia tetraphylla</i>	सर्पगन्धा भेद	5.00	10.00
141.	<i>Rubia cordifolia</i>	मंजीठ	10.00	20.00
142.	<i>Ruta graveolens</i>	पिसमारुम, सादाब, सतारी	10.00	20.00
143.	<i>Sansevieria roxburghiana</i>	मुरुबा	5.00	10.00
144.	<i>Saraca asoca</i>	सीता अषोक	20.00	30.00
145.	<i>Scoparia dulcis</i>	जस्टीमधु	5.00	10.00
146.	<i>Sesbania grandiflora</i>	अगस्त्य	15.00	20.00
147.	<i>Sida acuta</i>	बरियार	5.00	10.00
148.	<i>Smilax macrophylla</i>	चोबचीनी	-	10.00
149.	<i>Solanum indicum</i>	बरहट्टा	5.00	10.00
150.	<i>Solanum nigrum</i> (Black fruit)	मकोय	5.00	10.00
151.	<i>Solanum nigrum</i> (Red fruit)	मकोय	5.00	10.00
152.	<i>Solanum verium</i>	कटेली, रेंगनी	5.00	10.00
153.	<i>Solanum xanthocarpum</i>	भटकटैया	5.00	10.00
154.	<i>Spilanthes acumella</i>	अकरकरा	5.00	10.00
155.	<i>Spilanthes calva</i>	अकरकरा	5.00	10.00

156.	<i>Swertia angustifolia</i>	चिरायता	20.00	30.00
157.	<i>Syzygium cuminii</i>	जामुन	5.00	10.00
158.	<i>Tephrosia purpurea</i>	सरफोका	5.00	10.00
159.	<i>Terminalia belerica</i>	बहेड़ा	5.00	10.00
160.	<i>Terminalia chebula</i>	हर्रा	5.00	10.00
161.	<i>Thalictrum javanicum</i>	ममीरी	20.00	30.00
162.	<i>Thespesia lampas</i>	जं कपास	5.00	10.00
163.	<i>Tinospora cordifolia</i>	गिलोय, गुरुचि	5.00	10.00
164.	<i>Tribulus terrestris</i>	गोखरू	5.00	10.00
165.	<i>Tridax procumbens</i>	पथरचटा	5.00	10.00
166.	<i>Tylophora asthmatica</i>	अन्तामूल	5.00	10.00
167.	<i>Urena lobata</i>	बचीटा	5.00	10.00
168.	<i>Urginia indica</i>	जंगलीप्याज	5.00	10.00
169.	<i>Vallisneria spiralis</i>	श्रामसार, दूधी	5.00	10.00
170.	<i>Vetiveria zizanioides</i>	खस	5.00	10.00
171.	<i>Vitex negundo</i>	निर्गुण्डी	5.00	10.00
172.	<i>Wedelia calendulacea</i>	भांगरा, भृगराज	5.00	10.00
173.	<i>Withania somnifera</i> (red)	अष्वगंधा	5.00	10.00
174.	<i>Withania somnifera</i> (yellow)	अष्वगंधा	5.00	10.00
175.	<i>Woodfordia fruticosa</i>	घवई	5.00	10.00
176.	<i>Zingiber zerumbet</i>	नरकचूर	10.00	-

18.11 औषधीय रोपणी में विक्रय हेतु उपलब्ध पौधों की जानकारी

अनु क्र०	वैज्ञानिक नाम	सामान्य नाम	वर्तमान में तैयार पौधों का मूल्य दर (रूट ट्रेनर/पोलीपाट)	एक वर्ष पुराना तैयार पौधों का मूल्य दर (रूट ट्रेनर/पोलीपाट)
1	<i>Acorus calamus</i>	बच	988	988
2	<i>Adhatoda vasica</i>	अडूसा	100	100
3	<i>Aegle marmelos</i>	बेल	120	120
4	<i>Allium purpurium</i>	जंगली लहसून	400	400
5	<i>Aloe vera</i>	ग्वार पाटा	300	300*
6	<i>Argyrea speciosa</i>	विधारा	10	10
7	<i>Aristolochia indica</i>	ईश्वरमूल	34	34
8	<i>Artemisia vulgaris</i>	भीम कपूर	1140	1140
9	<i>Asclepius curassavica</i>	कउरा जोडी	30	30
10	<i>Asparagus racemosus</i>	सतावर	1281	9081*
11	<i>Bacopa monnieri</i>	ब्रम्ही	1120	1120
12	<i>Barleria prionitis</i>	कठसरैया	90	90
13	<i>Bixa orellana</i>	लटकन	450	450
14	<i>Centella asiatica</i>	ब्रम्हा, मण्डूकपर्णी	1400	1400*
15	<i>Chlorodendrum serratum</i>	भारंगी	50	50
16	<i>Chlorophytum arundinacium</i>	सफेद सिरस	110	110

17	<i>Cissus quadrangularis</i>	हड़जोड़	45	45
18	<i>Commifora mukul</i>	गुग्गल	107	107
19	<i>Costus speciosus</i>	कलिहारी	30	30
20	<i>Curcuma cassia</i>	ष्यामा हल्दी	40	40
21	<i>Cymbopogon martini</i>	रोसाघास	27	27
22	<i>Eclipta alba</i>	भृगराज	20	20
23	<i>Elettaria cardamomum</i>	छोटीइलायची	130	130
24	<i>Embelia ribes</i>	वायविड़ग	50	50
25	<i>Feronia limonia</i>	कैथा	164	164
26	<i>Ficus krishme</i>	Krishna Bar	24	24
27	<i>Gymnema sylvestris</i>	गुड़मार	600	600*
28	<i>Hemidesmus indicus</i>	अनन्तमूल	10	10
29	<i>Jatropha carcus</i>	सर्पगन्धा	100	100
30	<i>Nyctanthes arbor –tristis</i>	हरसिंगार	39	39
31	<i>Ocimum sanctum</i>	तुलसी	15	15*
32	<i>Phyllanthus niruri</i>	भुई आँवला	138	138
33	<i>Phyllanthus officinalis</i>	आँवला	50	50
34	<i>Piper longum</i>	पिप्पली	118	118
35	<i>Plumbago capensis</i>	चित्रक	10	10
36	<i>Plumbago indica</i>	चित्रक	32	32
37	<i>Plumbago zeylancia</i>	सफेद चित्रक	1500	1500*
38	<i>Pogostemon cablin</i>	सौविस	1072	1072
39	<i>Polianthus tuberosa</i>	रतनजोत	40	40
40	<i>Rauwolfia serpentina</i>	सर्पगन्धा	1400	1400
41	<i>Ruta graveolence</i>	सिताब	12	12
42	<i>Spilanthes acmella</i>	अकरकरा	50	50
43	<i>Sterculia urens</i>	कुल्लू	56	56
44	<i>Stevia rabaudiana</i>	मीठी तुलसी	200	200
45	<i>Tinospora cordifolia</i>	गिलोय, गुरुचि	100	100
46	<i>Vitex negundo</i>	निर्गुण्डी	200	200
47	<i>Wedelia calendulacea</i>	भांगरा, भृगराज	100	100
48	<i>Withania somnifera</i>	अष्वगन्धा	165	165

18.12 अनुसंधान रोपणी में विक्रय हेतु उपलब्ध पौधों की जानकारी :-

अनु क्र०	वैज्ञानिक नाम	सामान्य नाम	वर्तमान में तैयार पौधों का मूल्य दर (पोलीपाट)
1.	<i>Acacia concinna (Willd.) DC</i>	षिकाई	425
2.	<i>Aegle marmelos (L.) Correa</i>	बेल	4800
3.	<i>Albizia procera (Roxb.) Benth.</i>	सफेद सिरस	300
4.	<i>Annona squamosa Linn.</i>	सिताफल	300
5.	<i>Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq.</i>	कदम्ब	728
6.	<i>Asperagus racemosus Willd</i>	षतावार	500
7.	<i>Azadirachta indica A. Juss.</i>	नीम	221

8.	<i>Bambusa nutans Wallich ex munro</i>	कंटग बांस	250
9.	<i>Bauhinia variegata L.</i>	कचनार	1190
10.	<i>Bougainvillea glabra Choisy</i>	बोगेन बिलिया	800
11.	<i>Buchanania lanzan Spreng.</i>	अचार	286
12.	<i>Callistemon lanceolatus DC.</i>	बॉटल ब्रश	185
13.	<i>Carissa opaca Stapf ex Haines</i>	करोदा	40
14.	<i>Cassia fistula L.</i>	अमलतास	1500
15.	<i>Croton sp.</i>	क्रोटन	229
16.	<i>Dalbergia sissoo Roxb.</i>	सिस्सू	100
17.	<i>Delonix regia (Bojer ex Hook.)</i>	गुलमोहर	25
18.	<i>Dendrocalamus asper</i>	थाईलैन्ड बांस	25
19.	<i>Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees</i>	बांस साधारण	54000
20.	<i>Emblica officinalis Gaertn.</i>	आँवला	2387
21.	<i>Eriodendron pentandrum Kurz</i>	कपोक	250
22.	<i>Feronia limonia (L.) Swingle</i>	कैथा	143
23.	<i>Ficus glomerata Roxb.</i>	गूलर	90
24.	<i>Ficus religiosa Linn.</i>	पीपल	210
25.	<i>Gmelina arborea Roxb.</i>	खमैर	1000
26.	<i>Hibiscus rosa-sinensis L.</i>	गुडहल	110
27.	<i>Jasminum sambac (Linn.) Ait.</i>	चमेली	1200
28.	<i>Jatropha curcas L.</i>	रतनजोत	1300
29.	<i>Mangifera indica L.</i>	आम	3100
30.	<i>Mimusops elengi L.</i>	खिरनी	336
31.	<i>Morus alba Linn.</i>	षहतूत	20
32.	<i>Murraya koenighii (L.) Spreng</i>	मीठा नीम	250
33.	<i>Peltophorum ferugineum Benth.</i>	पेल्टाफोरम	30000
34.	<i>Populus deltoides</i>	पापुलर	84
35.	<i>Pterocarpus marsupium Roxb.</i>	बीजा	50
36.	<i>Putranjiva roxburghii wallich</i>	पुत्रंजीवा	1128
37.	<i>Sapindus laurifolius Vahl.</i>	रीठा	500
38.	<i>Saraca indica Auct.</i>	सीता अषोक	210
39.	<i>Syzygium cumini (L.) Skeels</i>	जामुन	60
40.	<i>Tabernaemontana coronaria (L.) R.Br.</i>	नन्दी वृक्ष	500
41.	<i>Tamarindus indica L.</i>	इमली	15
42.	<i>Tectona grandis L.f.</i>	सागौन	13000
43.	<i>Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb.</i>	बहेड़ा	2220
44.	<i>Thuja orientalis Linn.</i>	विघा	400

18.13 उच्च गुणवत्ता वाले पौध विक्रय हेतु उपलब्ध पौधों की जानकारी :-

अनु क्र०	वैज्ञानिक नाम	सामान्य नाम	दर (प्रति पौधा)
1	<i>Aegle marmelos</i>	बेल	25.00
2	<i>Artocarpus lakoocha</i>	बडहल	10.00
3	<i>Buchanania lanzan</i>	आचार	20.00
4	<i>Butea monosperma</i>	सफेद पलास	200.00
5	<i>Gmelina arborea</i>	खमैर	7.00
6	<i>Madhuca latifolia</i>	महुआ	20.00
7	<i>Tectona grandis</i> (Grafted)	ग्रफिटेट सागौन	25.00
8	<i>Terminalia chebula</i>	हर्रा	10.00

18.14 टिषू कल्चर तकनीकी से तैयार पौधों की विक्रय हेतु उपलब्धता की जानकारी

(रु० प्रति पौधे)

अनु क्र०	वैज्ञानिक नाम	सामान्य नाम	वर्तमान में तैयार पौधों का मूल्य दर (रुट ट्रेनर/पोलीपाट)	एक वर्ष पुराना तैयार पौधों का मूल्य दर (रुट ट्रेनर/पोलीपाट)
1	<i>Bacopa monnieri</i>	ब्रम्ही	10.00	15.00
5	<i>Commifora mukul</i>	गुग्गल	20.00	25.00
4	<i>Gloriosa superba</i>	कलिहारी	10.00	10.00
2	<i>Gymnema sylvestre</i>	गुड़मार	10.00	15.00
3	<i>Rauwolfia serpentina</i>	सर्पगन्धा	10.00	15.00

18.15 बीज भंडार

अनु क्र०	वैज्ञानिक नाम	सामान्य नाम	उपलब्ध मात्रा (कि०ग्रा०)	दर (प्रति किलो)
1	<i>Dendrocalamus strictus</i>	देशी बांस	123	150.00
2	<i>Lucena lucocephala</i>	सुबबूल	45	50.00
3	<i>Tectona grandis</i> (SPA)	सागौन	990	50.00
4	<i>Tectona grandis</i> (TSO)	सागौन	337	70.00
5	<i>Terminalia bellerica</i>	बहेड़ा	40	90.00

18.16 जैविक खाद (वर्मीकल्चर)

अनु क्र०	वैज्ञानिक नाम	सामान्य नाम	उपलब्ध मात्रा (कि०ग्रा०)	दर (प्रति किलो)
1	<i>Eisenia foetida</i>	केचुआ	200	250.00

18.17 जैविक खाद (वर्मीकम्पोस्ट)

अनु क्र०	सामान्य नाम	उपलब्ध मात्रा (कि०ग्रा०)	दर (प्रति किलो)
1	केचुआ खाद (जैविक खाद)	15000	2.40

18.15 लघुवनोपज विपणन सूचना प्रणाली

सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लघुवनोपज की अहम भूमिका है। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय लोग लघुवनोपज एकत्र कर स्थानीय बाजारों में बेचकर अपनी आर्थिक एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्हें विक्रय मूल्यों की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण कम मूल्य में विक्रय कर देते हैं। इसी परिपेक्ष्य में विपणन सूचना प्रणाली लागू की गई है जिससे स्थानीय लोगों एवं वन समितियों को विपणन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। इस जानकारी से स्थानीय लोग अपने विपणन कार्यों को समायोजित कर सकेंगे।

विपणन सूचनाओं में वे सभी सूचनायें, तथ्य, अनुमान, राय आदि सम्मिलित हैं जो निर्णय लेने में प्रयोग की जाती हैं। विपणन कर्ता को विभिन्न प्रकार की विपणन सूचनाओं की आवश्यकता होती है जैसे उत्पाद, मूल्य, बाजार-दशायें, माँग एवं पूर्ति, उपभोक्ता आवश्यकतायें आदि।

इसमें मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण मंडियों छत्तीसगढ़ की तीन एवं राष्ट्रीय स्तर की लघुवनोपज मंडी को सम्मिलित किया गया है। इन मंडियों के क्रय एवं विक्रय मूल्य दिये जाने लगे हैं। मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य संस्थाओं द्वारा समय-समय पर लघुवनोपज संबंधी नीति में बदलाव और उसके प्रभाव की भी विशेष रिपोर्ट, पेपर, आर्टिकल्स और राष्ट्रीय बाजारों में वर्तमान स्थिति की सूचना दी जायेगी। साथ ही लघुवनोपज संबंधी शोध कार्यों की संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया जायेगा।

• लघु वनोपज की राष्ट्रीय थोक बाजार दरें :-

माह : सितम्बर 2005

औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा)

क्रं.	वन औषधियों के नाम	विक्रय मूल्य
1	कमरकस	36-70
2	बहेड़ा साबुत	4-5
3	हरड़ बड़ी	8-10
4	हरड़ कचरा	9-12
5	कपूर कचरी	10-15
6	बेल गिरी	10-13
7	पीपल छोटी	135-150
8	सीतल चीनी	185
9	सालम पंजा	1100-1800
10	गुग्गल	100-195
11	मेंहदी	28-35
12	कासनी	18
13	शुद्ध शिलाजीत	550-1700
14	चोब चीनी	100-200
15	लोखंडी	200-250
16	लाख पीपल	80-150
17	मकोय (गिलोय)	-
18	खतमी	52
19	माजूफल	55-65
20	गोंद सहिजन	40-150
21	कोंदरू गोंद	40-70
22	रसोत	70-165
23	कुलंजन	85-86
24	अमलतास फली	8-10
25	सालव मिश्री	3600-4500
26	लौंग पत्ता	12
27	कुटकी	190-215
28	फूल गुलाब	30-90
29	छड़ीला नेपाली	60-100
30	शिकाकाई	14-17

31	रीठा	18-22
32	सालब गट्टा	55-80
33	सालब दाना	160-185
34	काकड़ सिंगी	75-80
35	तज	30-35
36	कायफल	-
37	तगर गांठ	98-100
38	तालिस पत्र	35
39	काकोली	47
40	सुगंध कोकला	104-105
41	उन्नाव	55-80

• वन औषधियों की राष्ट्रीय थोक बाजार दरें :-

माह : सितम्बर 2005

औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा)

क्रं.	वन औषधियों के नाम	विक्रय मूल्य
1	आंवला	25-30
2	बहेड़ा	8
3	नागरमोथा	11-13
4	अर्जुन छाल	8
5	हरड़ (छोटी)	32-48
6	असगंध	55-80
7	पोदीना	38
8	बायबिड़ंग	38-45
9	चिरायता (हरा)	12-16
10	सतावर (पीला)	150-300
11	मूसली (सूडान)	-
12	सुगंध मंत्री	40
13	मूसली (असली)	350-750
14	बाउची	8-9
15	मैदा लकड़ी	25-32
16	एल्वा	60-200
17	सर्पगन्धा	96-100
18	लौध पठानी	15-25
19	पीपल (बड़ी)	85

20	बालछड़ (नेपाल)	150-180
21	अफगानिस्तानी मुलेठी	37-65
22	अजमोदा	28
23	अनन्तमूल (काली)	10
24	विधारी कंद (सफेद)	32-35
25	विधारी कंद (लाल)	14
26	कुसुम फूल	145
27	मुश्कदाना	45-50
28	शंखपुष्पी	22-25
29	तुलसी पत्र	20
30	तुलसी बीज	140
31	उंटगन बीज	140
32	ब्राम्ही (असली)	45-80
33	भृंगराज	13
34	मालकांगनी	20-80
35	रतनजोत	35-40
36	सतावर (सफेद)	34-37
37	मरोरफल्ली	13-15
38	अशोक छाल	10-32
39	देशी चित्रकमूल	15
40	क्रौंच बीज काला	9
41	गुडवच	38-40

• कटनी एवं धमतरी लघुवनोपज मंडियों की बाजार दरें :-

माह : सितम्बर 2005

औसत मूल्य (रु./क्वि.)

क्रं.	प्रचलित नाम	कटनी	धमतरी
1	आंवला गुठली रहित	2200	2100-2300
2	आंवला गुठली सहित	600-700	-
3	बहेड़ा साबुत	200-300	250-280
4	बहेड़ा कचरिया	450-550	425-500
5	बेल गूदा	750-850	800-950
6	धवई फूल	600-700	550-650
7	भिलावा	500-600	450-550

8	चित्रक	1500—1600	—
9	चिरायता	900—1100	650—700
10	नागरमोथा	850—900	850—1050
11	टेशू फूल	300—350	375—500
12	वायकुम्मा	750—900	450—550
13	निर्मली	2800—3000	2200—2700
14	गुड़वच	2000—2200	
15	वायबिड़ंग	3200—3800	2800—3500
16	गटारन	2200—2400	2600—3200
17	बाउची	700—800	600—650
18	मैदा लकड़ी	3200—3500	—
19	अर्जुन छाल	600—700	700
20	कूड़ा छाल	800—850	—
21	भारंगी छाल	1000—1200	—
22	कपूर कचरी	1300—1400	—
23	मैन फल	550—700	450—500
24	माल कांगनी	2200—2500	2300—2500
25	मरोर फली	600—700	800
26	शहद	5000—6000	4500—5000
27	बैचांदी	3800—4000	3500
28	चरोटा बीज	200	400—500
29	इमली बीजयुक्त	400—500	700—900
30	इमली बीजरहित	1400—1600	1500—1800
31	पलाश बीज	600—650	650—750
32	चिरौंजी गुठली (1)	—	2800—4000
33	चिरौंजी गुठली (2)	—	1800—2700
34	चिरौंजी गुठली (3)	—	1100—1200
35	महुआ फूल	1100	1000—1125
36	महुआ गुल्ली	—	1100—1200
37	कलिहारी	—	—
38	सफेद मूसली 1	25000	25000
39	सफेद मूसली 2	20000	17500
40	सफेद मूसली 3	13000	12500
41	तीखुर	—	4500—6000
42	लोध पठानी	1600—1800	1600—1700

43	गोरखमुन्डी	700—800	650—750
44	कमरकस	3100—3800	—
45	तेज बल	400—600	—
46	खस (1)	—	—
47	खस (2)	—	—
48	खस (3)	—	—
49	शिकाकाई	2000—2300	1500—1800
50	रीठा	2200	800—950
51	सतावर	5000	—
52	राल धूप	2800—4000	—
53	क्रोंच बीज	900—1100	—
54	वन जीरा	3000—3200	3000—3500
55	अश्वगंधा	6500—7500	6500
56	कुसुम बीज	—	550—650
57	वन तुलसी	—	650—700
58	बेर	—	250—450
59	रासना जड़ी	—	7500—10000
60	अमलतासफली	100	400—700
61	लाख (कुसुमी, नागुली)	7500	7500
62	लाख (कतिकी, वैशाली)	—	10000
63	गुग्गल	—	—
64	अडूसा	800	—
65	गिलोय	700	600
66	सर्पगन्धा	8500	10000—12500
67	रतनजोत	—	—
68	मूसली काली	—	—
69	रोसा घास	—	—